विकास – एक सामूहिक प्रकिया

सामुदायिक सहभागिता, ग्राम जल तथा स्वच्छता समिति एवं जिला प्रशासन बुरहानपुर मध्यप्रदेश द्वारा ग्रामीण जनमानस को हर घर जल योजना के माध्यम से जीवन के विभिन्न आयामों पर लाभान्वित किया |

यह प्रतिवेदन मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में विकसित किया गया हैं।

मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग द्वारा नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और हितधारकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और शासन संबंधी पहलुओं पर ज्ञानवर्धक प्रतिवेदन

प्रस्तावना

प्रस्तुत प्रतिवेदन मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में हर घर जल योजना की प्रगति को वर्णित करता है। प्रतिवेदन में प्राथमिक डाटा के साथ जल जीवन मिशन राष्ट्रीय पोर्टल पर उपलब्ध रियल टाइम डाटा का प्रयोग किया गया है, तथा प्रकाशित लेख, विज्ञप्ति, बुकलेट इत्यादि भी संदर्भित किए गए है। इस प्रतिवेदन में, क्षेत्र स्तर पर किए जा रहे अनुप्रयोग को सर्वोत्तम प्रथा के रूप में, उच्च गुणवत्ता वाला पेय जल सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय महिला समूहों द्वारा एफटीके तकनीक से की जा रही जांच, जिले में योजना की संतृप्तता की स्थिति, स्कूल तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में 'हर घर जल' महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन की स्थिति एवं क्षेत्र से संकलित किए गए आकड़ों तथा हितग्राही के अनुभवों को प्रस्तुत किया गया है।

यह प्रतिवेदन प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी माननीय उपाध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी का हृदय से आभार है, जिन्होंने इस ज्ञानवर्धक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने हेतु अंतर्दृष्टि और सतत मार्गदर्शन प्रदान किया।

आशा है कि, यह समेकित प्रतिवेदन, क्रियान्वित की जा रही 'हर घर जल' महत्वाकांक्षी योजना के बारे में व्यापक समझ प्रदान करते हुए साक्ष्य सृजन में समकक्षों, नीति अध्येताओं, रिसर्च स्कालर्स/शोधार्थी तथा अन्य हितधारकों हेतु उपयोगी होगा। हितग्राही मूलक योजना क्रियान्वयन के अन्य तरीकों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न रणनीतियों को परिभाषित करने में सहयोगी होगा। हम इस दस्तावेज में और सुधार हेतु हितधारकों के सुझावों का भी स्वागत करते हैं।

अभिस्वीकृति

श्री मुकेश चन्द गुप्ता आईएएस, प्रमुख सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को मूल्यवान निर्देशन प्रदान करने हेतु आभार है। श्री स्वतंत्र कुमार सिंह आईएएस, पूर्व सदस्य सचिव मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग एवं श्रीमती शिल्पा गुप्ता आईएएस, अपर सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा श्री अभिषेक सिंह आईएएस पूर्व प्रमुख सलाहकार, मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग का आभार है।

श्री संजय कुमार शुक्ला आईएएस, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु आभार है। श्री अनुराग श्रीवास्तव अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, श्री प्रवीण गुरु महाप्रबंधक (तकनीकी) एवं श्री विजय जादौन महाप्रबंधक (सामुदायिक भागीदारी) म.प्र. जल निगम मर्यादित को संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने हेतु आभार है।

मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग में साथी सहयोगीगण - श्री राजदीप सिंह एवं श्री गौरव थापक सलाहकार द्वय द्वारा इस रिपोर्ट के प्रारंभ में पीएचई अधिकारी के साथ प्रारम्भिक बैठक में सहयोग करने के लिए, तथा वरिष्ठ सलाहकार द्वय श्रीमती प्रशंसा दीक्षित द्वारा मुख्य पृष्ठ की रचना में सहयोग तथा श्री कन्हैया समाधिया द्वारा हिन्दी आलेख की प्रूफ रीडिंग किए जाने में सहयोग हेतु टीम के प्रत्येक सदस्य को उनके दिए गए योगदान हेतु आभार है। बुरहानपुर जिले के दौरे को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए बुरहानपुर जिले के अधिकारीगण, विशेष रूप से श्री प्रवीण सिंह आईएएस जिला कलेक्टर, श्री रोहित सिसोनिया आईएएस सीईओ जिला पंचायत, श्री प्रताप सिंह बुंदेला कार्यपालन यंत्री पीएचई बुहानपुर और उनकी टीम को हृदय से आभार है।

अमिय शंकर
वरिष्ठ परामर्शदाता (लेखक)
मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग

सितम्बर 2023

अस्वीकृति*लेखक के व्यक्तिगत विचार है एवं इस प्रकाशन में त्रुटियों से बचने हेतु हर संभव प्रयास किए गए हैं। प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण भी उपलब्ध है, किसी प्रकार के डाटा अथवा भाषा स्पष्टीकरण हेतु कृपया संदर्भित करें।

स्वच्छ भारत दिवस
2022
भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल और स्वच्छता विभाग
जल जीवन पुरस्कार 2022
ज़िला बुरहानपुर
मध्य प्रदेश
को जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी ग्रामीण परिवारों को
क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने व
ग्रामसभाओं के माध्यम से सभी ग्रामों को
'हर घर जल' प्रामणित कर ज़िले को
'हर घर जल' प्रमाणित ज़िला
घोषित करने के लिए सम्मानित किया जाता है।
विनी महाजन
सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

जल जीवन मिशन
ग्राम - खातला
क्षमता -150,000 ली. स्टेजिंग : 15 मि.

विषय सूची

प्रस्तावना	I
अभिस्वीकृति	III
चित्र सूची	VIII
तालिका सूची	VIII
संक्षेपाक्षर	IX
अध्याय 1	
परिचय	1
जल जीवन मिशन – मुख्य बिन्दु	1
अध्याय 2	
2.1 जिला बुरहानपुर - बेसलाइन स्थिति	5
2.2 जिला बुरहानपुर – देश में प्रथम हर घर जल प्रमाणित जिला	6
2.3 सफलता के कारक	6
2.4 बुरहानपुर प्रगति कार्ड	11
2.5 स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों के प्रदर्शन	12
अध्याय 3	
3.1 जल की गुणवत्ता जाँचने हेतु प्रयुक्त फील्ड टेस्टिंग किट (FTK)	14
3.2 रियल टाइम डाटा अनुश्रवण	16
3.3 सर्वोत्तम प्रथा – जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश	18
3.4 सामुदायिक उद्यमिता – सफलता की ओर कदम	20
3.5 समुदाय की आवाज – ग्रामीण समुदाय से बातचीत के अनुभव	20
3.6 सतत विकास लक्ष्य संक्षेपण	21
अध्याय 4	
4.1 कार्यक्रम के रोल आउट तथा क्रियान्वयन की चुनौतियां	23
4.2 कार्यक्रम को सुदृढ़ करने हेतु सिफारिशें	23
सारांश	24
संदर्भ	26
संलग्नक क	28

चित्र सूची

चित्र 1 बुरहानपुर मानचित्र 4

चित्र 2 बुरहानपुर प्रगति कार्ड 11

चित्र 3 बुरहानपुर रियल टाइम आच्छादन स्थिति 16

चित्र 4 माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद पत्र 17

चित्र 5 महिला आत्मनिर्भरता 19

तालिका सूची

तालिका 1 बुरहानपुर - घरों की स्थिति PWS संदर्भित बेसलाइन 5

तालिका 2 राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम प्रमाणित जिला बुरहानपुर 6

तालिका 3 बुरहानपुर ग्राम कार्य योजना एवं ग्राम जल तथा स्वच्छता समिति 8

तालिका 4 योजना प्रारंभ के पश्चात से प्राप्त उपलब्धि का विवरण 9

तालिका 5 बुरहानपुर जिले के स्कूल / पाठशाला एवं आंगनवाड़ी केंद्र की संतृप्तता की स्थिति 12

तालिका 6 जिले की आश्रम-शाला एवं अन्य जन संस्थान की संतृप्तता 13

तालिका 7 जिले में एफटीके किट के माध्यम से जल की गुणवत्ता जाँच 14

तालिका 8 बुरहानपुर - एफटीके जाँच हेतु प्रशिक्षण 15

संक्षेपाक्षर

सं.	संख्या
आ.बा.के. (AWC)	आंगनवाड़ी केंद्र
सीटीआर (CTR)	कैच द रेन
एफ एच टी सी (FHTC)	फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन / क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन
एफपीसी (FPC)	फार्मर प्रडूसर कंपनी / किसान उत्पादक संगठन
जीएम (GM)	महाप्रबंधक
एचडीपीई (HDPE)	हाई डेन्सिटी पॉलीएथिलीन
आईएमआईएस (IMIS)	इंटेग्रेटेड मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम
आईसीएमआर (ICMR)	इंडियन काउन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्च
IoT	इंटरनेट ऑफ थिंग्स
आईएसए (ISA)	इम्प्लिमेन्टेशन सपोर्ट एजेंसी / कार्यावयन सहायता एजेंसी
जेजेएम (JJM)	जल जीवन मिशन
जी आई एस (GIS)	जिओग्राफीकल इन्फार्मेशन सिस्टम
एनएबीएल (NABL)	नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलब्रैशन लैबॉरेटरीज़
पीआईबी (PIB)	प्रेस इन्फार्मेशन ब्युरो
एनजीओ (NGO)	गैर सरकारी संगठन
मनरेगा (मनरेगा)	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
मैपकोस्ट (MPCOST)	मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद
एमवीएस (MVS)	मल्टीपल वर्चुअल स्टोरेज
एमओयू (MOU)	मेमोरनडम ऑफ अन्डरस्टैन्डींग
ओ एंड एम (O & M)	संचालन एवं रख-रखाव
पीएचई (PHE)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
पीवीटीजी (PVTG)	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह
स्काडा (SACDA)	सुपरविज़न कंट्रोल एंड डाटा एक्सेस
एसजीएसआईटीएस (SGSITS)	श्री गोविंदराम सेकसारिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान
एसजीएसवाई (SGSY)	सांसद आदर्श ग्राम योजना
एसएलएसएससी (SLSSC)	राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति
एसटीए (STA)	राज्य तकनीकी एजेंसी
टीएचएच (THH)	टोटल हाउसहोल्ड / कुल घर
वी.ए.पी. (VHP)	विलेज एक्शन प्लान / ग्राम कार्य योजना
वी.डब्ल्यू.एस.सी. (VWSC)	विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी / ग्राम जल और स्वच्छता समिति
डब्ल्यूआरडी (WRD)	जल संसाधन विभाग

अध्याय 1

परिचय

हितग्राही मूलक कार्यक्रम का क्षेत्र स्तर पर सफल क्रियान्वयन, सरकार की *'हर घर जल'* पहल से स्पष्ट एवं पूर्णतया परिभाषित होता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से जल जीवन मिशन की घोषणा करते हुए विस्तार से चर्चा की थी। यह ग्रामीण समुदाय के लिए 'गुणवत्ता पूर्ण उच्च जीवन स्तर' सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों में से एक है। जल जीवन मिशन द्वारा प्रकाशित दस्तावेज[1] के अनुसार, योजना की घोषणा के समय राष्ट्र में 18.93 करोड़ ग्रामीण घरों में से 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण घरों में ही नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध थे। इस प्रकार शेष 15.70 करोड़ परिवार अपने घरों के बाहर उपलब्ध पीने के पानी के स्रोत से पानी का उपयोग कर रहे थे।

सरकार के उल्लेखनीय प्रयास से 05 दिसंबर 2021 तक 19.22 करोड़ ग्रामीण घरों में से 8.75 करोड़ (45.56%)[1] ग्रामीण घरों में क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन की उपलब्धता रही, जो कि एक बड़ी एवं महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह सरकार, हितधारक और समुदाय के सम्मिलित अथक प्रयासों का परिणाम है। उल्लेखनीय है कि, विगत वर्षों के दौरान जल आपूर्ति प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। ग्रामीण जनसंख्या को पीने के पानी की आपूर्ति हैन्ड पंपों, सुरक्षित कुएं, पाइप द्वारा, या सार्वजनिक स्थलों से आपूर्ति की जाती रही। विशेष रूप से, भारत मार्का 2 हैंड पंप्स ने इस यात्रा के दौरान 1970 के दशक से 1990 दशक तक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि, इस बात को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि देश के कुछ क्षेत्र अब भी जल प्रदूषण की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनमें विषाणु, आयरन, नाइट्रेट्स, भारी धातुएं, आर्सेनिक और खारी मिलावट की उपस्थिति प्रमुख है। 2017 में, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ जब राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत पानी की आपूर्ति पाइप के माध्यम से किए जाने पर प्रयत्न केंद्रित हो गया।

मध्यप्रदेश – एक परिदृश्य

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत, ग्रामीण घरों को नल के पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए योजनाओं पर विचार करने और अनुमोदित करने के लिए राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति (एसएलएसएससी) के गठन का प्रावधान है। एसएलएसएससी जल आपूर्ति योजनाओं/परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति के रूप में कार्य करती है और भारत सरकार के राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) द्वारा नामित सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं। दिनांक 30 दिसम्बर 2021 के PIB के प्रकाशन के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में कुल 1,22,27,914[2] घर हैं तथा राज्य में 15 अगस्त 2019 को योजना के शुभारंभ के समय 13,53,151 (11%)[2] घर नल के पानी के कनेक्शन से संतृप्त/आच्छादित रहे। 13 जुलाई, 2023 के जेजेएम डैशबोर्ड पर उपलब्ध आंकड़ों (जेजेएम, 2023) के अनुसार, मध्य प्रदेश में 60,91,717 (50.91%) घर क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) संतृप्त है। यह प्रदर्शित करता है कि, योजना के प्रारंभ के पश्चात से 47,38,556 (44.65%) घरों को एफएचटीसी प्रदान किया गया है। स्कूलों के संदर्भ में, अक्टूबर 2020 तक 6,824 स्कूलों में नल से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित थी। जून 2021 तक 24,282 स्कूल आच्छादित थे, और 14 जुलाई 2023 तक 73,821 (79%) स्कूल संतृप्त थे। आंगनवाड़ी संतृप्तता के संदर्भ में, 14 जुलाई 2023 तक राज्य में 42,815 (64%) आंगनवाड़ी केंद्र संतृप्त है।

जल जीवन मिशन – मुख्य बिन्दु

जल जीवन मिशन/हर घर जल योजना नल के पानी के कनेक्शन के माध्यम से लोगों के प्रचुर मात्रा में सुरक्षित, स्वच्छ और पीने योग्य पेय जल उपलब्ध होने के सपने को पूरा कर रही है। मध्य प्रदेश के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में, विशेष रूप से गर्मियों के दौरान, पीने योग्य पानी की उपलब्धता एक चुनौती बनी हुई थी, जो लोगों के रोजमर्रा के जीवन को काफी प्रभावित करती है।

उपरोक्त महत्वपूर्ण उपलब्धि, गति और स्केल–अप रणनीति को अपनाने के कारण संभव हो सकी है। यह मिशन विभिन्न आयामों से लोगों के जीवन में सुधार कर रहा है, तथा इसके माध्यम से 'आसान एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन' सुनिश्चित किया जाना संभव हो रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वस्थ और स्वच्छता की स्थिति की ओर आम जनमानस को ले जा रहा है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि, इस योजना ने वर्षों पुरानी उस मेहनत की प्रथा को समाप्त कर दिया है, जहाँ महिलाएं एवं लड़कियां दैनिक घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी लाने के लिए हर दिन लंबी दूरी तय करने हेतु बाध्य थीं। योजना द्वारा जमीनी स्तर पर सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करके, महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज्य' मिशन के दर्शन के आधार पर 'स्थानीय नेतृत्व' विकसित करने में सहायता संभव हुई है[3], स्थानीय नेतृत्व जल स्रोतों की दीर्घकालिक स्थिरता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

जल जीवन मिशन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

1. प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करना।
2. गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सूखा प्रवण और मरूस्थलीय क्षेत्रों के गांवों, सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) गांवों आदि में क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के प्रावधान को प्राथमिकता देना।
3. स्कूलों, आंगनवाडी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, कल्याण केंद्रों और सामुदायिक भवनों को क्रियाशील नल कनेक्शन प्रदान करना।
4. नल कनेक्शन की क्रियाशीलता की निगरानी करना।
5. नकद, वस्तु और / या श्रम एवं श्रमदान के योगदान के माध्यम से स्थानीय समुदाय के बीच स्वैच्छिक स्वामित्व को बढ़ावा देना और सुनिश्चित करना।
6. जल आपूर्ति प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायता करना, अर्थात, जल स्रोत, जल आपूर्ति बुनियादी ढांचा, और नियमित संचालन एवं रखरखाव के लिए धन व्यवस्था।
7. इस क्षेत्र में मानव संसाधन को सशक्त तथा विकसित करना ताकि निर्माण, नलसाजी, विद्युत, जल गुणवत्ता प्रबंधन, जल उपचार, जलग्रहण संरक्षण, संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम/O&M), आदि की जरूरतों का अल्पकालिक और दीर्घकालिक रूप से ध्यान रखा जा सके।
8. हितधारकों की भागीदारी को विभिन्न तरीकों से सुनिश्चित करने के साथ - साथ समुदाय में सुरक्षित पेयजल के विभिन्न पहलुओं और महत्व के बारे में जागरूकता लाना, जिससे कि जल की महत्ता स्थापित हो सके।

'हर घर जल' योजना का प्रयास लोगों के जीवन की गुणवत्ता को उत्कृष्ट करने एवं उनके घर की नियमित तथा बुनियादी जरूरतों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पानी प्राप्त करने की उनकी आकांक्षा को पूरा करने के लिए परिभाषित हो रहा है। जल जीवन मिशन केंद्र एवं राज्य की साझेदारी में 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त जल दबाव के साथ निर्धारित गुणवत्ता एवं पर्याप्त मात्रा में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। हर घर जल योजना के माध्यम से गांव अथवा घर के जानवरों की पानी की प्यास पूर्ण रूप में बुझ रही है। जल जीवन मिशन *'कोई भी पीछे न छूटें (LNOB)'* के अंतर्गत सबसे गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों के साथ-साथ पूर्व से पहुंच से वंचित सभी को नल से पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा रहा है। अभिप्राय है कि, ग्राम के अंतिम छोर पर रहने वाले

व्यक्ति तक योजना के लाभ को पहुँचाना, जिसे हर घर जल योजना के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है।

जल जीवन मिशन की अन्य विशेषताएं अधोलिखित है:-

- जल जीवन मिशन मध्यप्रदेश के लगभग 1 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों को लाभान्वित करेगा। यह सुनिश्चित किया जाना है कि 4.5 करोड़ से अधिक ग्रामीण लोगों को मिशन से सीधे लाभान्वित किया जाए, जिससे बुनियादी सुविधाओं के साथ ग्रामीण और शहरी लोगों के रहन-सहन का अंतर कम हो पाए।
- मिशन / योजना मुख्य रूप से सदियों पुरानी दूर से पानी लाने की उस मेहनत एवं सामाजिक प्रथा को खत्म करके महिलाओं / बालिकाओं को लाभान्वित करेगा। मिशन ग्रामीण सार्वजनिक स्वास्थ्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण सुधार करेगा, विशेष रूप से बच्चों के लिए उनके घर, स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों आदि में पीने योग्य पेयजल के रूप में, जो पानी से पैदा होने वाली बीमारी से बच्चों के संक्रमण/बीमार पड़ने की संभावना को बहुत कम कर देगा।
- योजना / मिशन ने प्रत्येक घर को नल के पानी की आपूर्ति के प्रावधान के साथ 'गांव/बस्ती से घरों' तक पानी की आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया है, ताकि प्रत्येक घर को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा और निर्धारित गुणवत्ता युक्त पीने योग्य पानी मिल सके।
- सेवा वितरण और क्रियाशीलता पर जोर।
- हर घर जल आपूर्ति स्कीम की योजना और क्रियान्वयन 'ग्राम कार्य योजना' के अनुसार किया जाता है, जिसे ग्राम समुदाय की भागीदारी से तैयार किया जाता है एवं ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
- हर घर जल आपूर्ति के प्रबंधन में महिलाओं और कमजोर वर्ग के माध्यम से प्रमुख भूमिका निर्वहन किए जाने का निर्धारण किया गया है। इसके अलावा, स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और आश्रमशालाओं में प्राथमिकता के आधार पर बच्चों को लाभान्वित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- उन जगहों पर पीने योग्य पेयजल की व्यवस्था, जिन बस्तियों में गुणवत्तापूर्ण पानी की व्यवस्था नहीं है।
- पानी की गुणवत्ता की निगरानी स्थानीय समुदाय के द्वारा महिलाओं को शामिल करते हुए किया जाना।
- जल को जन-जन का विषय बनाना: हर घर जल योजना को सहभागिता पूर्ण तरीके से लागू किया जाता है, और स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों, समुदाय-आधारित संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों आदि को समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने और भागीदारी के स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सम्मिलित किया जाता है।
- पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा जन शिकायतों के निवारण के लिए, नवीनतम प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है।
- जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु बजट की प्रचुर उपलब्धता है, जल जीवन मिशन में मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा 12609.54 करोड़ रुपये आवंटित किए गए और वित्तीय वर्ष 2019-21 से जून 2023 तक 9513.52 करोड़ रुपये जारी किए गए। [एमओजेएस, 2023]

चित्र 1 : बुरहानपुर मानचित्र

अध्याय 2

2.1 जिला बुरहानपुर - बेसलाइन स्थिति

बुरहानपुर जिला राज्य की राजधानी से 340 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह पावर लूम उद्योगों का एक केंद्र है और यह राज्य के सबसे पुराने जिलों में से एक है। बुरहानपुर जिलें में 2 ब्लॉक, 167 ग्राम पंचायत, 254 ग्राम तथा 504 बस्तियां है। 2011 की जनगणना के अनुसार[4], बुरहानपुर जिले का साक्षरता दर 64.4 प्रतिशत है। जिले में महिला साक्षरता दर 56.6 प्रतिशत है। जिले में दो ब्लॉक बुरहानपुर तथा खकनार नामक है, इन दो ब्लॉक में कुल 97,842 ग्रामीण घर हैं। बुरहानपुर ब्लॉक में 56,424 घर हैं, जबकि खकनार ब्लॉक में 41,418 घर हैं। जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों की आबादी के संदर्भ में, बुरहानपुर ब्लॉक में अनुसूचित जाति की आबादी 31,774 एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी 91,621 है। खकनार ब्लॉक में अनुसूचित जाति की आबादी 9,898 है तथा अनुसूचित जनजाति की आबादी 1,30,511 है। जिले में कुल 4,97,560 ग्रामीण जनसंख्या, प्रतिवेदित है। इसमें 41,672 (8.38 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की जनसंख्या और 2,22,132 (44.64 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या शामिल है। बुरहानपुर ब्लॉक में अधिक संख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, जबकि खकनार ब्लॉक में अधिक संख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। समग्र रूप से, बुरहानपुर के ग्रामीण क्षेत्र में कुल जनसंख्या का 53.02 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का है, जो लगभग 151 गांवों में वितरित है। जल जीवन मिशन के वर्गीकरण के तहत जिला अल्पसंख्यक जिले की श्रेणी में आता है।

तालिका 1 बुरहानपुर - घरों की स्थिति PWS संदर्भित बेसलाइन

क्रम. सं.	ब्लॉक	कुल घर	PWS जल आपूर्ति घर
1	बुरहानपुर	57171	25167
2	खकनार	42377	12074

डाटा स्रोत - जेजेएम डैशबोर्ड 1 अप्रैल 2019

बुरहानपुर में कुल 1,01,905 घर हैं, परंतु 37,241 (36.54 प्रतिशत) ग्रामीण घर[5] जल जीवन मिशन के शुभारंभ पर अर्थात 15 अगस्त, 2019 को, नल संयोजन के माध्यम से पेयजल की पहुंच का लाभ उठा रहे थे।

योजना के प्रारंभिक चरण में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) की टीम द्वारा गांवों के दौरे, ग्राम कार्य योजना में उच्च तथा सक्रिय भागीदारी के लिए जन प्रतिनिधियों, सरपंच, पंचायत सचिव एवं ग्रामीण समुदाय के साथ चर्चा के साथ शुरू हुआ। प्रारम्भिक तैयारी के दौरान, यह निर्धारित हुआ कि 39 ग्राम पूर्व से ही पाइप से पानी के कनेक्शन से आच्छादित थे। शेष 215 गांवों के लिए रु.12,942.78 लाख[6] की *'सिंगल विलेज स्कीम'* के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर प्रशासनिक स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर दी गई। 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कुल 214 योजनाओं (215 ग्राम हेतु) का प्रस्ताव किया गया। बुरहानपुर विकास खण्ड के संदर्भ में कुल 103 योजनाएं प्रस्तावित थीं, जिनका मूल्य रु. 7124.06 लाख रहा। इनमें से 78 रेट्रोफिटिंग योजनाएं रु. 5049.82 लाख की थीं और 25 नई योजनाओं का मूल्य रु. 2074.24 लाख था। इसी प्रकार, खकनार ब्लॉक के मामले में, 111 योजनाएं जिनका कुल मूल्यांकन रु. 5818.72 लाख थीं, प्रस्तावित की गईं। उनमें से, 83 रेट्रोफिटिंग योजनाएं रु. 3077.73 लाख की मूल्यांकन की थीं और 28 नई योजनाएं रु. 2740.99 लाख मूल्यांकन की थीं।

2.2 जिला बुरहानपुर – देश में प्रथम हर घर जल प्रमाणित जिला

मध्यप्रदेश के जिले बुरहानपुर द्वारा देश भर में अनुकरणीय उपलब्धि हासिल की गई है। बुरहानपुर को, राष्ट्रीय स्तर पर 'प्रथम प्रमाणित जिला दिनांक 23 जुलाई 2022[7] को घोषित किया गया तथा प्रशस्ति पत्र प्रदाय किया गया। बुरहानपुर देश भर में प्रथम जिला है, जिसने 100% एफएचटीसी (ग्राम सभाओं द्वारा पारित प्रस्ताव)[8] सर्वप्रथम सुनिश्चित किया है। बुरहानपुर जिले में दो ब्लॉक हैं, और दोनों ब्लॉक हर घर जल से पूर्णतया संतृप्त हैं। मिशन के घटकों में से प्रमुख घटक न्यूनतम सेवा स्तर पर 55 LPCD/प्रति व्यक्ति पानी की मांग प्रति दिवस के फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन (FHTCs) प्रदान करना है। जल जीवन मिशन में चार स्तर की संस्थात्मक संरचना है, जिसमें राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (NJJM), राज्य जल और स्वच्छता मिशन, जिला जल और स्वच्छता मिशन, एवं ग्राम पंचायत और/या इसकी उपसमितियां शामिल हैं, जैसे ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी), पानी समिति, अथवा उपयोगकर्ता समूह इत्यादि। जिले की उपलब्धियों का वर्णन निम्नानुसार है:

तालिका 2 राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम प्रमाणित जिला बुरहानपुर

जिला	# हर घर जल ब्लॉक	# हर घर जल पंचायत	# हर घर जल ग्राम	# हर घर जल हैबिटेशन
बुरहानपुर	2	167	254	504

डाटा स्रोत - जेजेएम डैशबोर्ड 17 मई 2019

बुरहानपुर और खकनार दोनों ब्लॉकों ने हर घर जल-कार्यात्मक घरेलू नल जल कनेक्शन के साथ संतृप्तता हासिल कर ली है। कुल 254 ग्राम हैं, एवं समस्त ग्राम संतृप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, 640 स्कूलों, 549 आंगनवाड़ी केंद्रों और 440 अन्य सार्वजनिक संस्थानों समस्त को भी FHTC से संतृप्त होना सुनिश्चित किया गया है। 440 सार्वजनिक संस्थानों में 167 ग्राम पंचायत भवन, 50 स्वास्थ्य केंद्र, 109 सामुदायिक केंद्र, 45 आश्रमशालाएं, 2 सामुदायिक शौचालय और 67 अन्य सरकारी कार्यालय शामिल हैं [PIB, 2022]। बुरहानपुर जिले ने 100% उपलब्धि सुनिश्चित कर देश के साथ-साथ प्रदेश के 53 जिलों में भी प्रथम स्थान हासिल किया।

2.3 सफलता के कारक

बुरहानपुर को महत्वपूर्ण उपलब्धि की प्राप्ति में योगदान देने वाले विविध कारक हैं, जिसमें प्रमुखतः प्रशासन और विभागों का उच्च स्वामित्व, समुदाय में जागरूकता के स्तर, सामुदायिक गतिशीलता, सामुदायिक प्रतिभागिता, ग्राम जल और स्वच्छता समिति का प्रशिक्षण एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य इत्यादि प्रमुख कारक रहें है। कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पन्न विभिन्न व्यवधानों और अन्य चुनौतियों के बावजूद, बुरहानपुर के पंचायत प्रतिनिधियों, पानी समितियों और जिला अधिकारियों के लगातार प्रयासों से 34 महीनों की अवधि में 1,01,905 (100 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में से शेष 66,664 घरों में कार्यात्मक एफएचटीसी प्रदान किया गया। अन्य विभागों से संबंधित विभिन्न प्रकार की अनुमतियों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक समय को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। नीचे उल्लेखित सभी पहलों[6] ने बाधाओं को हटाने, प्रवर्धन और क्रियान्वयन के दौरान समय को कम करने तथा समग्र प्रक्रिया की गति को तेज़ करने में सहायता की, विवरण अधोलिखित है:-

वन विभाग संबंधित: बुरहानपुर के भौगोलिक क्षेत्र का 38% वनों द्वारा आवृत्त होता है, जिसके कारण वन भूमि पर निर्माण/कार्य हेतु वन विभाग से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। कार्य में पाइप बिछाने, पानी की टंकी स्थापित करने एवं ट्यूबवेल खोदने जैसी निर्माण गतिविधियां शामिल रहीं हैं। इन अनुमतियों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय मानक अनुरूप एक से दो महीनों का समय लग जाता है, उक्त प्रकिया को सिर्फ औसत 15 दिनों में पूर्ण किया गया।

मध्यप्रदेश विद्युत बोर्ड (एमपीईबी): बिजली के कार्य का आकलन करने, पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान करने, वर्क ऑर्डर बनाने, बिजली के कार्य करने, इलेक्ट्रिक सुरक्षा चार्जिंग प्रमाण पत्र प्राप्त करने और ग्राम पंचायत से प्राप्त बिजली कनेक्शन अनुरोधों को पूरा करने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसमें लगभग एक से दो महीने की अवधि लग जाती थी। इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया तथा उपरोक्त कार्य लगभग 15 दिन में पूर्ण किया गया। कार्य को गति प्रदान करने हेतु जिले स्तर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। पीएचई विभाग द्वारा आवश्यकताओं को पोस्ट किया गया जाता था एवं बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा उसके सापेक्ष तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाती थी। आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए, बिजली विभाग के अधिकारियों ने प्राथमिकता के आधार पर निर्दिष्ट गांवों के लिए आवश्यक कार्यों को पूर्ण किया।

लोक निर्माण विभाग/प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीडब्ल्यूडी/पीएमजीएसवाई): जिन पाइपलाइनों के लिए सड़कों को पार करने की आवश्यकता होती थी, उन मामलों में इन विभागों को शुल्क का भुगतान करने की नियमित प्रक्रिया को विलग कर दिया गया था। उसके एवज में ठेकेदार उन सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए जिम्मेदार थे जो पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई थी।

पाइप प्रमाणन: टेक्समो कंपनी द्वारा निर्मित एचडीपीई पाइपों की प्रमाणन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सीधे सिपेट (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी) से संपर्क किया गया।

पंप और गैल्वेनाइज्ड आयरन (जीआई) पाइप निरीक्षण: गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप और पंप हेतु तीसरे पक्ष के निरीक्षण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संबंधित विभागों और अपर मुख्य सचिव महोदय के साथ चर्चा की गई।

एचडीपीई पाइप का निर्माण: बुरहानपुर को एचडीपीई पाइप की आपूर्ति को प्राथमिकता देने के लिए टेक्समो पाइप्स एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के साथ चर्चा हुई। इसके बाद, सिपेट के साथ जुड़कर इन पाइपों की प्रमाणन प्रक्रिया को सुगम बनाते हुए तेजी लाने के प्रयास किए गए।

सर्वेक्षण: मिशन की प्रगति का आकलन करने के लिए अलग-अलग समय अंतराल पर तीन सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों से प्राप्त फीडबैक का उपयोग मिशन गतिविधियों में तेजी लाने के लिए किया गया था।

ठेकेदारों के साथ बैठकें: ठेकेदारों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गईं ताकि उन्हें प्रेरित किया जा सके, उनकी समस्याओं को तथा उनके सामने आने वाली किसी भी अन्य बाधा को दूर किया जा सके, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपने कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं समय पर पूर्ण किए। कोविड दौरान लेबर/मिस्त्री के समय पर अवकाश से वापस आने तथा उनके रहने का उचित प्रबंध भी सम्मिलित रहा।

अन्य महत्वपूर्ण कारक : जैसे समुदाय के कुछ अंश शुरू का से जागरूक होना, समुदाय के सामान्य हिस्से का पीने के पानी की कमी का सामना करने के कारण प्रेरित रहना तथा जिला प्रशासन के अविरल प्रयासों ने भी इस बड़ी सफलता को संभव बनाया। समुदाय को सक्रिय करने के लिए अभियान में प्रयासों को समर्थन भी अच्छे रूप में दिया गया। बुरहानपुर की सफलता स्पष्ट रूप से विशिष्ठ नेतृत्व को प्रतिबिंबित करती है। कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट श्री प्रवीण सिंह अढायच आईएएस का नेतृत्व, पीने के पानी से वंचित आबादी सहित जिले के दूर-दराज और अलग-थलग ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उल्लेखनीय परिणाम प्रदर्शित करने में सफलता की कुंजी के रूप में दिखा है। जिला कलेक्टर ने अन्य समस्त विभाग के अधिकारियों के साथ प्रगति हेतु साप्ताहिक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सतत संचालित किया। श्री रोहित सिसोनिया आईएएस, सीईओ जिला पंचायत ने बताया कि निरंतर अनुश्रवण एवं समीक्षा ने उल्लेखनीय सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

श्री रोहित सिसोनिया आईएएस, सीईओ जिला पंचायत ने बताया कि निरंतर अनुश्रवण एवं समीक्षा ने उल्लेखनीय सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री रोहित ने जिला प्रशासन द्वारा समकक्ष विभागों के साथ बुरहानपुर जिले में जल सुरक्षा, संरक्षण, और स्थायित्व प्रयासों के आगामी कदमों पर विस्तार से चर्चा कर 'सोर्स टू सिंक' मॉडल का उल्लेख किया।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बिजली, और पंचायती राज विभाग के विभागीय अधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करने में श्रेष्ठ स्वामित्व और कार्य के प्रति समर्पण प्रदर्शित किया है। भ्रमण दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के अधिकारी द्वारा बताया गया कि क्रियान्वयन दौरान जिले में योजना की शत-प्रतिशत उपलब्धि हेतु समस्त स्टाफ/अधिकारी पूरी लगन, मन और उत्साह के साथ समर्पित रहा। जिले के ग्राम भ्रमण के दौरान तथ्य निकल कर आया कि जमीनी स्तर पर मूर्त परिणाम को निष्पादित एवं प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट प्रयास किए गए।

सामुदायिक सहभागिता – योजना स्थायित्व की कुंजी

हर घर जल योजना के संदर्भ में समुदाय की भागीदारी महत्वपूर्ण है जिसे सामुदायिक गतिशीलता संबंधित गतिविधियों के माध्यम से उत्कृष्ट बनाया जा रहा है। कार्यान्वयन सहयोग एजेंसी (एनजीओ/ट्रस्ट) द्वारा सामुदायिक गतिशीलता को बढाते हुए सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। योजना प्रारंभ से ही समुदाय निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल रहा है। विभिन्न गतिविधियां जैसे योजना प्रारंभ होने के दौरान, ग्राम कार्य योजना एवं ग्राम सभा जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया, ताकि जल स्रोत, पानी की टंकी/ओवरहेड टैंक स्थापना के स्थान इत्यादि पर प्रस्ताव और निर्णय लेने हेतु समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। अपने ग्राम के विकास में निर्णय लेने की यह प्रक्रिया समुदाय के भीतर स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त, समुदाय का प्रत्येक घर निष्पादन लागत का 5% अथवा 10% योगदान देता है, जो नकद, वस्तु अथवा श्रम के रूप में प्रदान किया जाता है। यह योगदान, योजना के प्रति उनके स्वामित्व और प्रतिबद्धता को मजबूत करने में सहायता करता है। जनमत नेताओं और समाज के सक्रिय सदस्यों ने भी स्थानीय बाधाओं पर काबू पाने और सामुदायिक समर्थन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समुदाय के सदस्य योजना के संदर्भ में अपने घरों या परिसर की दीवारों पर 'दीवार लेखन' की अनुमति देकर भी योजना का समर्थन करते हैं। क्रियान्वयन सहयोग एजेंसी ने नुक्कड़ नाटकों, पैम्फलेट और पोस्टर वितरित करने, रैलियों का आयोजन करने, विज्ञापन वाहनों (प्रचार रथ) का उपयोग करने और सामुदायिक योगदान को बढ़ावा देने जैसी अन्य गतिविधियों में समुदाय को भलीभाँति शामिल किया। क्रियान्वयन सहयोग एजेंसी की संलिप्तता ने संचार गतिविधियों एवं सहभागिता हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया है। ग्राम के स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) समुदाय से जलकर/उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करने, संग्रह सुगमता से सुनिश्चित करने एवं परिणाम स्वरूप राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि करने में सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, योजना में कार्य करने हेतु चयनित ऑपरेटर संबद्ध ग्राम से हैं, जिससे सामुदायिक स्वामित्व और भागीदारी की भावना सुदृढ़ होती हैं। ये कारक सामूहिक रूप से सामुदायिक स्वामित्व के उच्च स्तर में योगदान करते हैं और हर घर जल योजना का दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित करते हैं।

तालिका 3 बुरहानपुर ग्राम कार्य योजना एवं ग्राम जल तथा स्वच्छता समिति

जिला	कुल ग्राम की संख्या	ग्राम कार्य योजना पूर्ण	ग्राम जल और स्वच्छता समिति गठन पूर्ण	% उपलब्धि
बुरहानपुर	254	254	254	100

डाटा स्रोत - जेजेएम डैशबोर्ड 17 मई 2023

योजना के विभिन्न पहलुओं को समावेशित करते हुए बुरहानपुर जिले में सभी 254 गांवों के लिए ग्राम कार्य योजना तैयार की गई, जिनका महत्वपूर्ण योगदान जिले की सफलता को सुनिश्चित करने में रहा है। पूर्व में टॉप-डाउन का दृष्टिकोण अपनाया जाता था, जो लक्ष्य आधारित, सामुदायिक सहभागिता तथा स्थायित्व पर कम केंद्रित था। वर्तमान परिदृश्य में, बाटम-अप सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया है, जो योजना की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक भी है। ग्राम कार्य योजना पूर्ण करने में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, जनप्रतिनिधियों की सलाह, समुदाय, और बुरहानपुर जिले के अन्य प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों ने भरपूर सहयोग एवं योगदान दिया।

पूर्व में, राष्ट्रीय समिति ने राज्य को अधिक जिलों के कवरेज को प्राथमिकता देने की सलाह दी थी, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति बहुल बस्तियों, पानी की गुणवत्ता के मुद्दों से प्रभावित क्षेत्रों, पानी की कमी वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) बस्तियों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कवरेज बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने का सुझाव था। बुरहानपुर जिले की ग्रामीण जनसंख्या का 53.02% अंश एससी और एसटी श्रेणी में सम्मिलित है, जो लगभग 151 गांवों में वितरित हैं। राज्य ने पूर्व में दिए गए सुझाव का पालन किया, जिससे योजना के कार्यान्वयन के स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। समस्त घरों को जिसमें अल्पसंख्यक और सामान्य श्रेणियों के घर सम्मिलित है, को फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन (एफएचटीसी) सुनिश्चित किए गए हैं। ग्रामीण जनमानस को ग्राम कार्य योजना में ज्यादा से ज्यादा सम्मिलित करने का उद्देश्य समुदाय की राय को शामिल किया जाना और योजना के स्वामित्व को बढ़ावा दिया जाना रहा है। ग्राम कार्य योजना में जल का स्रोत भी समुदाय की सहभागिता के माध्यम से तय किया गया है, स्रोत के तकनीकी पहलुओं को आँकने का कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया गया है। गांव में बनाए जाने वाले ओवरहेड टैंक की स्थिति के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। दीर्घ अवधि के स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए, जल कर संग्रह करने की प्रक्रिया में भी ग्रामीण समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

संचालन और रखरखाव सहित आगे क्रियान्वयन हेतु स्कीमें, ग्राम जल और स्वच्छता समिति/पानी समिति को सौंप दी जाती हैं। ग्राम जल और स्वच्छता समिति/पानी समिति, ग्राम समुदाय को निर्बाध जल प्रदान करने तथा मामूली मरम्मत कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। ग्राम जल तथा स्वच्छता समिति / पानी समिति, योजना की सफलता में एक महत्वपूर्ण घटक है और योजना के लंबी अवधि की स्थायित्वशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। एससी/एसटी/बीपीएल समुदाय/घरों द्वारा कुल योजना की कार्यान्वयन लागत के 5% जमा करने का प्रावधान है और सामान्य समुदाय/घरों द्वारा 10% जमा करने का प्रावधान है, जिसे 'जन सहयोग राशि' के नाम से जाना जाता है। सामुदायिक योगदान नकद, वस्तु अथवा श्रम के रूप में किया जा सकता है। जिले में अब तक, समुदाय ने सहयोग राशि के योगदान का लगभग 30% से 50% योगदान[9] दिया है, एवं प्रावधानों के अनुसार शेष राशि सरकार द्वारा वहन की जाती है। वार्षिक आधार पर पांच किस्तों में संचित जन सहयोग राशि, ग्राम जल तथा स्वच्छता समिति / पानी समिति को प्रोत्साहन के रूप में वापसी का प्रावधान है। इस राशि को ग्राम में योजना संबंधित नए विकास, विस्तार आदि पर प्रावधान अनुरूप खर्च किया जा सकता है।

ग्राम जल तथा स्वच्छता समिति / पानी समिति द्वारा गांव में, 5% गरीब परिवार जो किसी भी प्रकार की लागत को वहन नहीं कर सकते हैं, के लिए एफएचटीसी (क्रियात्मक घरेलू नल कनेक्शन) का प्रावधान सुनिश्चित करने का निर्णय लिया जाता है। गरीब परिवार वाले घर का निर्णय ग्राम जल तथा स्वच्छता समिति / पानी समिति द्वारा लिया जाता है। यह निष्पादन के लिए उनके योगदान के संदर्भ में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करते है तथा दीर्घ अवधि के स्थायित्व हेतु आवश्यक स्वामित्व में परिणाम देता है। ग्राम कार्य योजना तथा ग्राम जल तथा स्वच्छता समिति / पानी समिति ने ग्राम समुदाय के लिए क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्राम जल तथा स्वच्छता समिति / पानी समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण उच्च गुणवत्तापूर्ण अपेक्षित है, जिससे कि योजना में स्वामित्व दीर्घ अवधि का संभव हो सके।

नीचे दी गई तालिका 4 हर घर जल योजना के तहत समस्त घरों की एफएचटीसी से आच्छादन स्थिति के संदर्भ में बुरहानपुर की महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाती है:

तालिका 4 योजना प्रारंभ के पश्चात से प्राप्त उपलब्धि का विवरण

जिला	कुल घर	FHTC युक्त घर (दि.15 अगस्त 2019)	शेष घर (दि.15 अगस्त 2019)	FHTC युक्त घर (दि.17 मई 2022)	FHTC प्रदाय घर (मिशन पश्चात)	% घर - मिशन के प्रारंभ के पश्चात (शेष घरों में से)
बुरहानपुर	101905	37241	64664	101905	64664	100

डाटा स्रोत - जेजेएम डैशबोर्ड

उपर्युक्त आंकड़ों से विदित है कि योजना के तहत 1,01,905 घरों में से शेष 64,664 घरों को योजना प्रारंभ होने के पश्चात संतृप्त किया गया है, क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन की यह उपलब्धि सरकार, हितधारकों और सामुदायिक भागीदारी द्वारा समर्पण, योजना, निगरानी, मूल्यांकन और लगातार प्रयासों का परिणाम है।

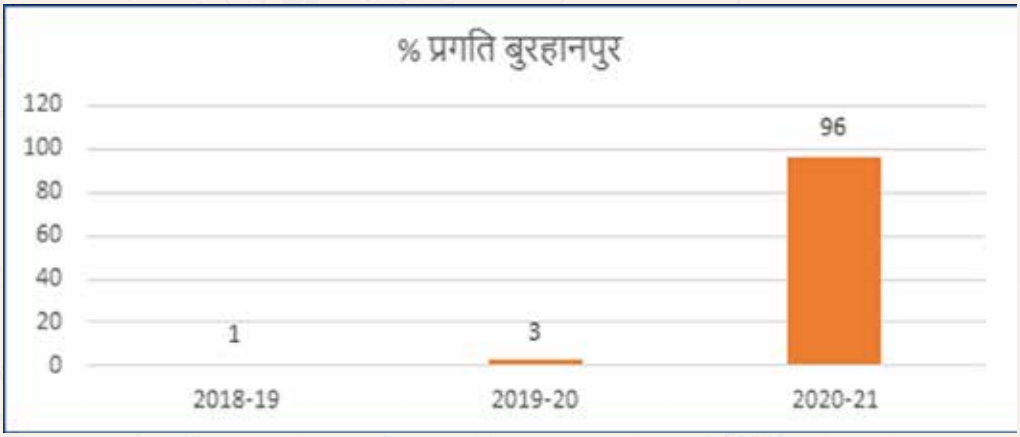

जेजेएम पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के आधार पर प्रगति का विश्लेषण करने उपरांत यह स्पष्ट होता है कि बुरहानपुर जिले में, वित्तीय वर्ष 2020-21 में शेष घरों में से अधिकांश को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान हुए हैं। विशेष रूप से, एक विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक वित्तीय वर्ष के अंतिम चार महीनों में 33,400 परिवार संतृप्त हुए। विभिन्न वित्तीय वर्षों में प्रगति को उपरोक्त लेखाचित्र में प्रस्तुत गया है। मिशन की शुरुआत के बाद से, राज्य में लगभग 1 लाख आबादी को हर महीने यह सुविधा प्रदान की गई है। भारत के मध्य जनजातीय क्षेत्र में पानी के मुद्दों पर काम करने वाले विभिन्न संगठनों के बीच बातचीत के दौर के माध्यम से, एक आम समझ उभरी कि ग्रामीण परिवारों की समृद्धि पानी पर बहुत अधिक निर्भर है।

'सोर्स-टू-सिंक' भूजल रिचार्जिंग संरचनाओं का एक जीआईएस-आधारित चयन है। यह दृष्टिकोण एक निरंतर जल आपूर्ति प्रणाली सुनिश्चित करता है। जिले ने कम जल स्तर वाले सबसे कमजोर क्षेत्रों से शुरू होने वाले स्रोतों को रिचार्ज करने की योजना बनाई है। मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन की 'कैच द रेन' (सीटीआर) पहल के तहत संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। ये सभी संरचनाएं जल के प्रवाह को धीमा करने और इसे ज़मीन में अंतःस्त्रवण / संचयित करने की सुविधा प्रदान करती है, इसके फलस्वरूप भूजल को पुनर्यापन/ रिचार्ज किया जाता है और जलस्तर में सुधार होता है। बुरहानपुर में जल के निकास के लिए पर्याप्त समर्थनशील लाइनमेंट्स हैं। जिले ने मैदान के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न संरचनाओं की योजना बनाई है। विवरण इस प्रकार हैं: -

रिज जोन: यह उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां जल स्रोत अधिक संवेदनशील होते हैं और पानी का स्तर कम होता है। इस क्षेत्र में, भूजल को रिचार्ज करने और जल स्तर में सुधार के लिए विभिन्न संरचनाओं को लागू किया जाता है। इन संरचनाओं में कंटूर ट्रेंच, गैबियन एवं पर्कोलेशन टैंक शामिल होते हैं।

मध्य जोन: मध्य जोन रिज जोन और सिंक जोन के बीच का आवांटरण जोन है। इस क्षेत्र में, पानी के संरक्षण और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित होता है। इस क्षेत्र में लागू की जाने वाली संरचनाओं में तालाब, फार्म पॉन्ड, स्टॉप डैम तथा नाला ट्रेंचिंग शामिल होते हैं।

सिंक जोन: सिंक जोन निचले स्तर क्षेत्र को संकेत करता है जहां पानी को प्राकृतिक रूप से निकास करते हैं या ज़मीन में रिसाव कर जाते हैं। इस क्षेत्र में, भूजल पुनर्यापन को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान केंद्रित होता है। इस क्षेत्र में लागू की जाने वाली संरचनाओं में सोक पिट्स एवं रीचार्ज पिट्स शामिल होते हैं।

मनरेगा के तहत, सीटीआर (CTR) वर्धिती योजना वर्षा जल को इकट्ठा करने और जलस्तर को सुधारने के लिए होती है। मनरेगा योजना के तहत पुर्ननवीनीकरण कार्य जैसे पहले से मौजूद तालाब, चेक डैम और स्टॉप डैम का भी कार्य चल रहा है, जो संसाधन की दृष्टि से नए संरचनाओं की निर्माण की लागत को कम करने के लिए किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन (सिंक) में बनाए गए सोक पिट्स जल को इकट्ठा करने और धीमी गति से जमीन में संचयित होने देते हैं। बुरहानपुर के नजदीकी क्षेत्रों में ताप्ती नदी अच्छा जलस्तर प्रदान करती है, जबकि बुरहानपुर के ताप्ती नदी से दूर क्षेत्रों में कम जलस्तर होता है। बुरहानपुर में अच्छी लाइनमेंट है जो सतही जल को नीचे की ओर प्रवाहित करने में मदद करती है। बुरहानपुर खंड में 198 स्रोत हैं और खकनार खंड में 207 स्रोत हैं।

2.4 बुरहानपुर प्रगति कार्ड

बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश राज्य में पहले स्थान पर है एवं अप्रैल 2023 में पूरे देश में 5वें स्थान पर है और यह फ्रंट रनर श्रेणी (टैप कनेक्शन कवरेज 100%) के तहत है। विभिन्न मापदंडों पर कुल अंक 90.0390 प्राप्त हुए। विस्तृत प्रगति कार्ड नीचे संलग्न किया गया है:-

Jal Jeevan Survekshan 2023

District Progress Card of April 2023

Burhanpur (Madhya Pradesh)

Category (as on 01 Apr 2023) : Front runners ★★★★★

National Rank in category : **5 /135**

State Rank in category : **1/1**

Indicator		Maximum Marks	Obtained Marks
Physical Progress	% Of HGJ cerfied villages against total villages	50	50
Water Quality	% of villages where household tap water sample is tested using FTKs or in Labs	10	10
	% of villages where PWS source water sample (taken after WTP) is tested using FTKs or in Labs	10	10
	% of villages having women trained for FTK testing	10	10
Institutional Arrangements	% of villages where atleast one JJM scheme handed over to VWSCs/ GPs	10	0.039
	% of villages with skilling done	10	10
Total		**100**	**90.0390**

Total number of villages	Total number of households	FHTCs as on 01 Oct 2022
254	1,01,905	1,01,905

Parameters	Plan till month of April 2023	Progress till date after 01 Oct 2022	% Progress
Villages where household tap water sample is tested using FTKs or in Labs *	84	248	100
Villages where PWS source water sample (taken after WTP) is tested using FTKs or in Labs *	84	247	100
Villages having women trained for FTK testing as per norms	254	(176)+78	100.00
Har Ghar Jal certified villages	254	(254)+0	100.00
Villages where atleast one JJM scheme handed over to VWSCs/ GPs	254	(0)+1	0.39
Villages where human resources is identified and skilled for O&M	254	(0)+254	100.00

* Pre monsoon testing targets for 01.04.2023 on words

चित्र 2 : बुरहानपुर प्रगति कार्ड

बुरहानपुर के रिपोर्ट कार्ड के अनुसार, जिले ने लगभग प्रत्येक संकेतक /पैरामीटर में पूर्ण प्रतिशत हासिल किया; जैसे भौतिक प्रगति के मामले में, पानी की गुणवत्ता - उन गांवों का प्रतिशत जहाँ एफटीके का उपयोग करके या प्रयोगशालाओं में नल के पानी के नमूनों का परीक्षण किया गया एवं एफटीके परीक्षण के लिए प्रशिक्षित महिलाओं का प्रतिशत पूरी तरह से हासिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, बुरहानपुर में संस्थागत व्यवस्थाएं, जैसे कि उन गांवों का प्रतिशत जहाँ जनशक्ति का क्षमता वर्धन की गई है, भी पूर्ण रूप में सफलतापूर्वक हासिल किए गए हैं। जिले के कार्यपालन यंत्री के अनुसार वर्तमान परिदृश्य में (जुलाई 2023), लगभग सभी स्कीमें (3-4 योजनाओं को छोड़कर) निष्पादन के बाद आगे के क्रियान्वयन के लिए ग्राम जल तथा स्वच्छता समिति/पानी समिति/उपयोगकर्ता समूह को सौंप दी गई हैं। जो कि बुरहानपुर के रिपोर्ट कार्ड में अद्यतन होनी शेष प्रतीत होती है। मिशन ओवरहेड टैंक, पंप हाउस, पाइपलाइन और नल के निर्माण जैसे बुनियादी ढांचे की उपलब्धता पर बल देता है। यह उनके लंबे समय एवं समुचित रूप से क्रियाशीलता को सुनिश्चित करने के लिए जमीन पर विकसित जल संरचनाओं को बनाए रखने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इसके अतिरिक्त, मिशन सेवा प्रदायगी को प्राथमिकता देता है, जिसका उद्देश्य ग्रामीणों को उचित जल दबाव के साथ नियमित आधार पर जल की पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता में स्वच्छ पेयजल प्रदान करना है। पानी समिति को कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए, क्रियान्वयन सहायता एजेंसी (ISA) को उत्तरदायित्व दिया गया है, जो एनजीओ, ट्रस्ट आदि हो सकते हैं। ये संगठन लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बुरहानपुर में "अरुणोदय सर्वेश्वरी लोक कल्याण समिति उज्जैन (मध्यप्रदेश)" को आईएसए का दायित्व दिया गया है। जिसे विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जैसे जन-घर सर्वेक्षण, जनसभा, ग्रामीण संगठन (ग्रामसभा) का गठन, ग्राम कार्य योजना, प्रतिज्ञा द्वारा समुदाय को गतिशील करना, स्कूल रैली, दीवार लेखन, पोस्टर और पत्रक वितरण, नुक्कड़ नाटक, प्रचार वाहन (प्रचार रथ), ग्राम जल तथा स्वच्छता समिति का प्रशिक्षण, तथा ग्राम के योगदान को सुनिश्चित करना इत्यादि। इन सभी घटकों से मजबूत रणनीतिक व्यवहार परिवर्तन संचार प्रकिया में योगदान मिलता है और संचार की इस पहल ने बुरहानपुर की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। योजना ने बुनियादी स्तर पर जिम्मेदार और प्रतिक्रियाशील नेतृत्व को विकसित करने में एक लंबा सफर तय किया है।

2.5 स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों के प्रदर्शन

मध्य प्रदेश के 52 जिलों में कुल 93000 स्कूल/पाठशाला तथा 66,896 आंगनवाड़ी से अधिक सरकारी भवनों में हैं। रियल टाइम डाटा के अनुसार हर घर जल / नल कनेक्शन की पाठशाला एवं आंगनवाड़ी में उपलब्धता का सार निम्नवत है:-

बुरहानपुर जिले के स्कूलों/पाठशालाओं में नल के कनेक्शन की उपलब्धता का विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत है:-

तालिका 5 बुरहानपुर जिले के स्कूल / पाठशाला एवं आंगनवाड़ी केंद्र की संतृप्तता की स्थिति

जिला	कुल स्कूल	नल से आपूर्ति वाले स्कूल	% संतृप्त स्कूल	कुल आंगनवाड़ी केंद्र	नल से आपूर्ति वाले आंगनवाड़ी केंद्र	% संतृप्त आंगनवाड़ी केंद्र
बुरहानपुर	640	640	100	549	549	100

डाटा स्रोत - जेजेएम डैशबोर्ड 15 जून 2022

योजना के अंतर्गत अक्टूबर 2020 में, नल के पानी की आपूर्ति से 6824 स्कूल संतृप्त थे, जबकि जून 2021 में 24,282 स्कूल संतृप्त थे, और 14 जुलाई 2023 तक 73,821 संतृप्त हो गए थे। मध्यप्रदेश के स्कूलों में नल कनेक्शन सुनिश्चित करने के मामले में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है। जिला बुरहानपुर के मामले में 640 स्कूल हैं, और सभी कार्यात्मक नल जल कनेक्शन से संतृप्त हैं। बुरहानपुर में स्कूलों के भीतर उपयुक्त स्थानों पर लगाने के साथ-साथ उचित संख्या में नल लगाए गए हैं। मंच और आस-पास का क्षेत्र जल निर्वहन प्रणाली युक्त है तथा संकेत चिन्हों से दर्शाये गए है। बुरहानपुर जिले के भ्रमण के दौरान स्कूल के बच्चों के साथ बातचीत के दौरान बच्चों, उन्होंने ने नए नलों के लगाए जाने से अपनी खुशी व्यक्त की एवं नल वाले स्थान पर टाइल लगाने के कारण स्वच्छता का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी कहा कि अब उपयुक्त रूप से संरचित जल मंच के कारण उनके कपड़े गीले नहीं होते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों (AWC) के संदर्भ में, बुरहानपुर ब्लॉक में 256 केंद्र हैं, और खकनार ब्लॉक में 293 केंद्र हैं, और दोनों ब्लॉकों में सभी आंगनवाड़ी केंद्र क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) से संतृप्त हैं।

तालिका 6 जिले की आश्रम-शाला एवं अन्य जन संस्थान की संतृप्तता

क्रं. सं.	ब्लॉक का नाम	आश्रम-शाला एवं अन्य जन संस्थान											
		ग्राम पंचायत भवन/ पंचायत घर #		स्वास्थ्य केंद्र #		सामुदायिक केंद्र #		आश्रम शाला #		सामुदायिक शौचालय #		अन्य सरकार कार्यालय #	
		कुल	नल कनेक्शन की उपलब्धता	कुल	नल कनेक्शन की उपलब्धता	कुल	नल कनेक्शन की उपलब्धता	कुल	नल कनेक्शन की उपलब्धता	कुल	नल कनेक्शन की उपलब्धता	कुल	नल कनेक्शन की उपलब्धता
1	बुरहानपुर	89	89	31	31	101	101	16	16	1	1	30	30
2	खकनार	78	78	19	19	8	8	29	29	1	1	37	37
कुल		**167**	167	**50**	50	**109**	109	**45**	45	**2**	2	**67**	67

डाटा स्रोत - जेजेएम डैशबोर्ड 15 जून 2022

उपरोक्त तालिका बुरहानपुर जिले के विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों में क्रियाशील नल कनेक्शन की संतृप्तता की स्थिति को प्रदर्शित करती है। कुल 440 परिसर/संस्थान संतृप्त हैं, जिनमें 167 ग्राम पंचायत भवन, 50 स्वास्थ्य केंद्र, 109 सामुदायिक केंद्र, 45 आश्रमशालाएं, 2 सामुदायिक शौचालय और 67 अन्य सरकारी कार्यालय शामिल हैं। यह हर घर जल योजना के कार्यान्वयन में बुरहानपुर जिले की असाधारण प्रतिबद्धता और प्रगति को दर्शाता है।

"जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देश के अनुसार हमारे राज्य में बाटम-अप भागीदारी का दृष्टिकोण अपनाया गया है, जो योजना की सफलता का एक कारण भी है। इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप पेयजल आपूर्ति योजना स्थायित्वपूर्ण होगी।"

श्री संजय कुमार शुक्ला, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म. प्र. सरकार

अध्याय 3

3.1 जल की गुणवत्ता जाँचने हेतु प्रयुक्त फील्ड टेस्टिंग किट (FTK)

परीक्षण और अंशांकन / कैलिब्रेशन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बोर्ड (एनएबीएल/NABL) मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की राष्ट्र में तीसरी सबसे बड़ी संख्या मध्य प्रदेश में है। मध्यप्रदेश में कुल 155 प्रयोगशालाओं में से 150 प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बोर्ड (एनएबीएल) की मान्यता प्राप्त[10] है। एनएबीएल मान्यता के मामले में आस पास के अन्य राज्य जैसे, यूपी में 82 प्रयोगशालाओं में से 26 मान्यता प्राप्त हैं, राजस्थान में 54 प्रयोगशालाओं में से 30, महाराष्ट्र में 177 प्रयोगशालाओं में से 173 और ओडिशा में 77 प्रयोगशालाओं में से 34 मान्यता प्राप्त हैं। यह मध्य प्रदेश की उल्लेखनीय उपलब्धि को दर्शाता है कि राज्य एनएबीएल प्रमाणित प्रयोगशालाओं की अहम संख्या रखने में सफल रहा है। बुरहानपुर में दो एनएबीएल प्रमाणित प्रयोगशालाएं हैं - जिला स्तर पर एक और उप-मण्डल स्तर पर एक नेपानगर में स्थित है। कुल कठोरता, कैल्शियम कठोरता, मैग्नीशियम कठोरता, कुल क्षारीयता, क्लोराइड, pH, रंग, गंध, स्वाद, कुल विलयनीय ठोस (TDS) और टर्बिडीटी एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त पैरामीटरों के नाम है।

तालिका 7 जिले में एफटीके किट के माध्यम से जल की गुणवत्ता जाँच

जिला	ग्रामों के संख्या जहाँ एफटीके जाँच सम्पन्न	# एफटीके जाँच	# उपचारात्मक कार्यवाही
बुरहानपुर	254	7771	38

डाटा स्रोत - पी एच ई बुरहानपुर (मई 2023)

पूर्व में, राज्य को जीवाणुवाधी (बायोलॉजिकल) और रासायनिक प्रदूषण के लिए जल की परीक्षण को प्राथमिकता दिए जाने हेतु सलाह दी गई थी। बुरहानपुर जिले में 254 गांव हैं एवं उन सभी में पानी के नमूने जांचे गए हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 7,771 परीक्षण किया गया है। स्थापित मानकों के अनुसार 38 मामलों में मानक अनुरूप उपचारात्मक कार्रवाई की गई है। क्लोरिनेशन के मामले में, वर्तमान मानक के अनुसार ब्लीचिंग पाउडर / सोडियम हाइपोक्लोराइट से समाधान किया जा रहा है। हर घर जल योजना में ग्रामीण समुदायों को नल कनेक्शन से प्रदान किए जाने वाले जल की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया गया है। इसमें स्थानीय समुदायों को अपने गांवों में जल की गुणवत्ता का निगरानी करने का भी अवसर मिलता है। समुदाय को जल की गुणवत्ता के निगरानी में भाग लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

जल जीवन मिशन (JJM) के तहत, नल से मिलने वाले पीने योग्य जल हेतु स्थानीय समुदायों को अपने गांवों में जल की गुणवत्ता की निगरानी का जिम्मा संभालना होता है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग संयुक्त रूप से समुदाय को सशक्त बनाने और इस संबंध में उनकी सहभागिता को सुगम बनाने पर निरंतर कार्य कर रहा है। विभिन्न योजनाबद्ध गतिविधियों को शामिल करने हेतु एक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए, जैसे कि परीक्षण किट की समय पर खरीदारी तथा आपूर्ति, हर गांव में कम से कम पांच महिलाओं की पहचान और प्रशिक्षण तकनीकी (एफटीके) का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण, और प्रयोगशाला आधारित परिणामों के साथ जांच और संग्रहीत करना। बुरहानपुर जिले के गांवों में, पांच ग्रामीण महिलाओं को एफटीके का उपयोग करके प्रदान की जाने वाली पानी की गुणवत्ता की जांच करने, स्वच्छता सर्वेक्षण करने एवं डाटा को जेजेएम पोर्टल पर अपलोड करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। स्रोत (अशोधित पानी) और शोधित पानी / पेय जल की नियमित जांच सुनिश्चित की जाती है, तथा साथ-साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाता है। जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुसार, उप-मण्डल / ब्लॉक-स्तर प्रयोगशाला को अपने प्रभारी क्षेत्र में सभी पेयजल स्रोतों का पानी वार्षिक रूप से रासायनिक पैरामीटरों के लिए

एक बार और जीवाणुवाधी पैरामीटरों के लिए दो बार (मानसून पूर्व और मानसून पश्चात) जाँच, जो रोगाणुओं या प्रदूषण के लिए 13 मूल जल गुणवत्ता पैरामीटरों को समाहित करती हैं, सुनिश्चित की जानी होती है। यदि कोई नमूना परीक्षण में सकारात्मक अथार्त संक्रमित पाया जाता है, तो संबंधित प्राधिकारियों को चेतावनी दी जाती है और तत्काल उपचारात्मक उपाय अवलंबित किए जाते हैं। बुरहानपुर जिले में, कुल 134 गांवों के 141 स्वयं सहायता समूहों के 269 सदस्यों को एफटीके परीक्षण के लिए प्रशिक्षित किया गया है। विस्तृत विवरण निम्नलिखित प्रस्तुत है:-

तालिका 8 बुरहानपुर - एफटीके जाँच हेतु प्रशिक्षण

क्र.सं.	ब्लॉक	एसएचजी समूह (सं.)	ग्राम (सं.)	प्रशिक्षित सदस्य (सं.)
1	बुरहानपुर	77	69	149
2	खकनार	64	65	120

डाटा स्त्रोत - पीएचई बुरहानपुर मई 2023

पूर्व में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों, ग्रामीण पेयजल संगठन (VWSC) के सदस्यों, आशा कार्यकर्ताओं और गांवों के अन्य सक्रिय सदस्यों को भी एफटीके के परीक्षण के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। लगभग 120 गांवों में, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं, आशा, आदि एफटीके परीक्षण को सुनिश्चित कर रहे हैं। योजना का एक समान महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्रामीण समुदाय के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है, जिस हेतु उन्हें किसी भी रोगाणु या प्रदूषण से मुक्त स्वच्छ और सुरक्षित पानी प्रदान किया जाता है। यह बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो दूषित पेयजल की वजह से दस्त, पेचिश, हैजा आदि जल जनित संक्रमण से संक्रमित हो जाते है। ग्रामीण जनमानस को इन प्रयोगशालाओं में जल की गुणवत्ता की जांच करने के लिए जाना चाहिए, जो उनके लिए लाभदायक होगा। "फ़ील्ड टेस्ट किट का उपयोग करके पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण" शीर्षक वाली रिपोर्ट अनुप्रेषित (संलग्न) की गई है। इस रिपोर्ट में बायोलॉजिकल प्रदूषण, क्लोराइड, फ्लोराइड और नाइट्रेट (NO_3) जैसे नौ महत्वपूर्ण संकेतकों के परीक्षण परिणाम शामिल हैं। रिपोर्टिंग टेम्पलेट ICMR के BMI विभाग द्वारा डिज़ाइन एवं विकसित की गई है, जिसके कॉपीराइट NJJM2020 के नाम है।

नाइट्रेट द्वारा पेयजल का संदूषण कई देशों के कृषि क्षेत्रों में एक बढ़ती हुई समस्या है। नाइट्रेट का सेवन एन-नाइट्रोज यौगिकों (एनओसी) के अंतर्जात/एन्डोजेनस गठन का कारण बन सकता है, जो शक्तिशाली कैंसर कारक हैं। "आयोबा और नेब्रास्का" में जनसंख्या आधारित केस कंट्रोल अध्ययनों[11] में उपभोग किए गए नाइट्रेट के स्तर और पेट, अन्न प्रणाली, मूत्राशय, मस्तिष्क, बृहदान्त्र, मलाशय, अग्न्याशय और गुर्दे के कैंसर का मूल्यांकन किया गया। नाइट्रेट की अधिक मात्रा के अंतर्ग्रहण एवं माँस के अधिक सेवन से बृहदान्त्र, गुर्दे और पेट के कैंसर के बढ़े जोखिम देखे गए, यह एक आहार/खाने का पैटर्न है जिसके परिणामस्वरूप शरीर मे एन-नाइट्रोज यौगिकों (एनओसी) बनने में वृद्धि हुई। निश्चित रूप से, एक बड़े स्तर पर भविष्य में योजना क्षेत्र में कैंसर रोगियों की संख्या कम होनी चाहिए। योजना क्षेत्र में दूषित पानी से होने वाले संक्रमण (विशेषतः नाइट्रेट) के संदर्भ में अगर अध्ययन कराया जाता है तो, अध्ययन रिपोर्ट में उपरोक्त आकलन की पुष्टि होने की ज्यादा संभावना है| इस प्रकार, हम ग्रामीण समुदाय के लिए साक्ष्य-आधारित गुणवत्ता वाले पीने योग्य पानी सुनिश्चित कर रहे हैं।

"हम अब 'सोर्स टू सिंक' मॉडल पर तेजी से काम कर रहे हैं एवं यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि ग्रामीण महिला समूहों को योजना से जोड़कर अधिक से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बना सकें।"

श्री रोहित सिसोनिया आईएएस, पूर्व सीईओ जिला पंचायत बुरहानपुर मध्यप्रदेश

3.2 रियल टाइम डाटा अनुश्रवण

जल जीवन मिशन में, योजना और प्रोद्योगिकी के उपयोग की योजना बनाई गई और क्रियान्वित की गई है। स्मार्ट और आधुनिक तकनीकी के इस युग में केंद्रित निगरानी एवं मूल्यांकन, वास्तविक समय आंकड़े/रियल टाइम डाटा के माध्यम से किया जा रहा है। भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और इंटरनेट के उपयोग के परिणाम स्वरूप अच्छा प्रबंधन संभव हो रहा है, एवं बेहतर सेवाएं भी मिल रही है। यह कल्याणकारी पहलों हेतु आवश्यक नीतिगत स्तर के हस्तक्षेप के लिए सहायक होगा। सटीक जल स्रोत के स्थान की खोज / पहचान के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है1।

उपरोक्त के अतिरिक्त, निगरानी के संदर्भ में अन्य विशेषताएँ निम्नलिखित है:-

- जल स्तर, डिस्चार्ज, स्वचालित मोटर संचालन, डाटा कैप्चर करने के लिए डाटा लॉगर आदि की निगरानी के लिए सेन्सर का उपयोग।
- उपचार सयन्त्र (दबाव, पानी की गुणवत्ता, प्रवाह दर आदि जैसे पैरामीटर) और वितरण प्रणाली आदि की निगरानी के लिए MVS में पर्यवेक्षण नियंत्रण और डेटा एक्स्प्रेस / सुपरविज़न कंट्रोल एंड डाटा एक्सेस (SCADA) प्रणाली का उपयोग।

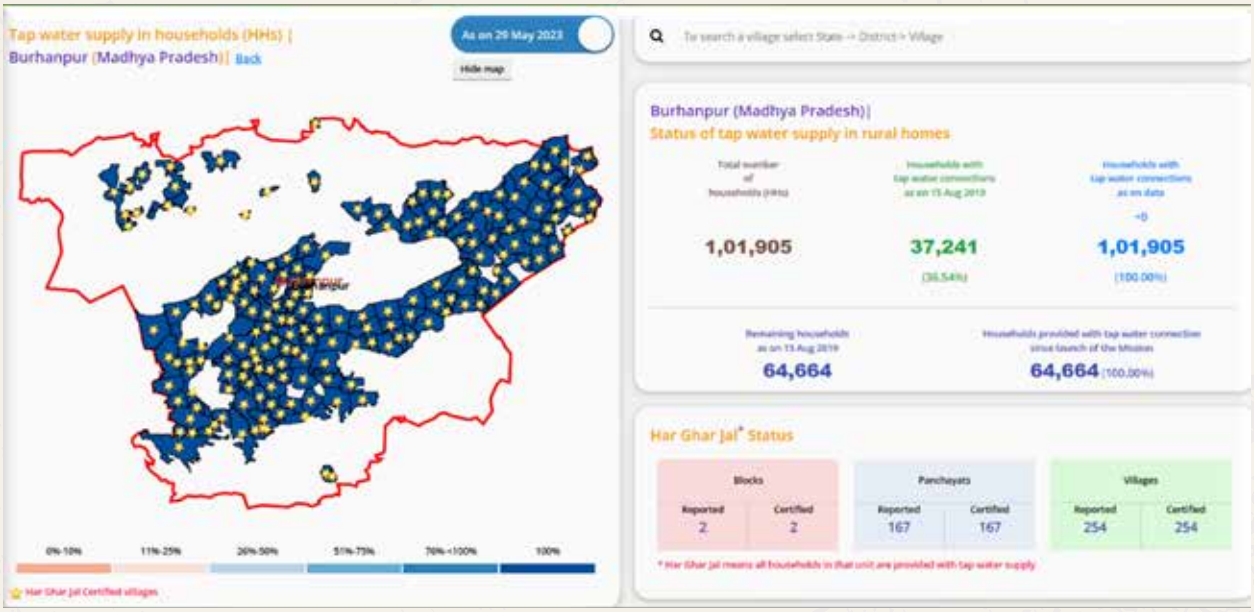

फोटो स्रोत - जेजेएम डैशबोर्ड

चित्र 3: बुरहानपुर रियल टाइम आच्छादन स्थिति

- विश्लेषण एवं निर्णय लेने में सहायक उपकरण के रूप में प्रयुक्त करने हेतु, मोबाइल नेटवर्क का उपयोग करके उपरोक्त डाटा को संग्रहीत कर प्रसारित करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) का उपयोग।
- रियल टाइम भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के अनुश्रवण हेतु विभाग / राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (जेजेएम) के आइएमआईएस/IMIS को बनाए रखना। यह सामाजिक निगरानी के लिए पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, एवं इस दस्तावेज में उपरोक्त से डाटा प्रयुक्त किया गया है।
- घरेलू नल कनेक्शन की क्रियाशीलता की सतत निगरानी के हेतु रियल टाइम डैशबोर्ड।
- संपत्ति की क्रियाशीलता की निगरानी हेतु जीआईएस/GIS एवं इंटरनेट आधारित सेन्सर।

योजना की अन्य प्रमुख विशेषताएं भी हैं, जैसे रियल टाइम निगरानी का समग्र प्रभाव अनुकरणीय है। भाजक/डीनोमिनेटर जल शक्ति विभाग के मानदंडों के अनुसार हैं, एवं कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जल जीवन मिशन के तहत बजट की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार का प्रमुख कार्यक्रम, जल जीवन मिशन / हर घर जल 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में घरेलू नल का पानी का कनेक्शन प्रदान करने हेतु राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में कार्य कर ग्रामीण जनमानस को लाभान्वित करने हेतु कटिबद्ध है।

जेजेएम रिपोर्ट[12] के अनुसार, बुरहानपुर के लिए, 524.955 लाख रुपये के केंद्रीय व्यय और 536.926 लाख रुपये के राज्य व्यय के साथ 318 योजनाएं थीं, जिसके परिणामस्वरूप पीडब्ल्यूएस (PWS) प्रकार की आपूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 1061.881 लाख रुपये का व्यय हुआ। जल जीवन मिशन (कवरेज फंड) के तहत आवंटित धनराशि का उपयोग बुरहानपुर ब्लॉक में 523.9 लाख रुपये और खकनार में 537.9 लाख रुपये के लिए किया गया था।

द पायनीयर[13] में प्रकाशित किए गए समाचार के अनुसार मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि प्रदेश की शहरी और ग्रामीण आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के कार्यों को समय-सीमा में पूरा किया जाए। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए तैयार रोडमैप में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रदेश में सभी नल-जल योजनाओं के कार्य पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं के बेहतर रख-रखाव के लिए गांवों में इंजीनियरों की तैनाती की जाए। उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट के कार्यों में कार्यों को समय पर पूरा संपादित करने के लिए संबंधित एजेंसी और अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यों में देरी के लिए जिम्मेदारी तय कर दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। नल जल योजनाओं का कार्य पूरा होने के बाद गांवों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा और गांव को "हर घर जल" श्रेणी का गांव घोषित किया जाएगा। योजना के निर्माण कार्यों के पूरा होने पर योजना को संबंधित पंचायत को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के अधिकारी भी ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। ऐसी महत्वाकांक्षी और उपयोगी योजना को लागू करने के लिए ग्रामीणों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आभार पत्र[14] भी भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह भी कहा कि विभाग के अभियंताओं को अपने कार्य स्थल का नियमित दौरा करना चाहिए तथा क्रियान्वयन की निरंतर समीक्षा होनी चाहिए।

जल जीवन मिशन

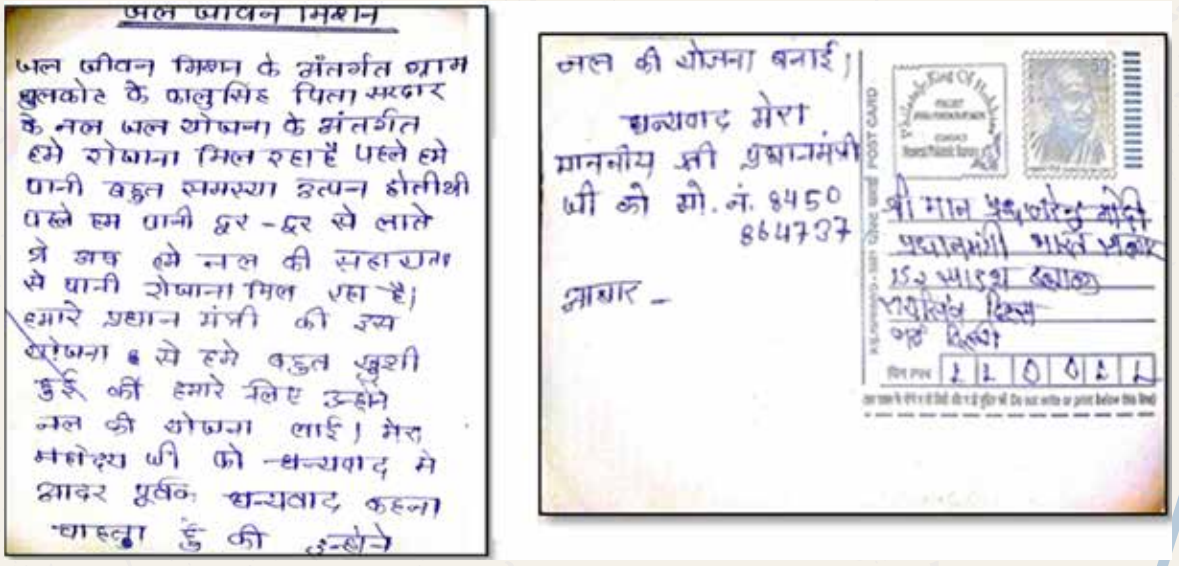

जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम
बुलकोट के कालुसिंह पिता सरदार
के नल जल योजना के अंतर्गत
हमे रोजाना मिल रहा है पहले हमे
पानी बहुत समस्या उत्पन्न होती थी
पहले हम पानी दूर-दूर से लाते
थे अब हमे नल की सहायता
से पानी रोजाना मिल रहा है।
हमारे प्रधान मंत्री की इस
योजना से हमे बहुत खुशी
हुई की हमारे लिए उन्होंने
नल की योजना लाई। मेरा
महोदय जी को धन्यवाद मै
आदर पूर्वक धन्यवाद कहना
चाहता हुं की उन्होंने

जल की योजना बनाई।
धन्यवाद मेरा
माननीय श्री प्रधानमंत्री
जी को मो. नं. 8450
864737
आभार -

POST CARD

श्री मान नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री भारत सरकार
152 साउथ ब्लाक
राइसिना हिल्स
नई दिल्ली
पिन कोड 110011

चित्र 4: माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद पत्र

पीएचई मध्यप्रदेश विभाग के पोर्टल द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के गुणवत्ता नियंत्रण इकाई खंड को आर एंड डी इकाई के रूप में मान्यता[15] दी गई है। मिशन राज्य तकनीकी एजेंसियों के चयन और विभागीय योजनाओं के परीक्षण, स्वीकृति और कार्यान्वयन का समन्वय भी करता है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट), भोपाल, मध्य प्रदेश राज्य तकनीकी एजेंसियों (एसटीए) के रूप में, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (एमपीसीओएसटी/MPCOST), भोपाल, श्री गोविंदराम सेक्सारिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (SGSITS) इंदौर का चयन किया गया है। समुदाय योजना के प्रति सजग है एवं पूर्णतः लाभ उठा रहा है।

बुरहानपुर जिले के प्रत्येक ग्राम हेतु व्यापक जानकारी जेजेएम डैशबोर्ड पर उपलब्ध हैं। उदाहरण के रूप में, हमने "खटला" नामक गांव को चुना है एवं संबंधित जानकारी प्रस्तुत है। खटला ग्राम के लिए ग्राम प्रोफ़ाइल जानकारी निम्नलिखित है: इसमें 3 बस्तियां/बसावटों का समावेश है जिसमें कुल जनसंख्या 3,147 है। SC (अनुसूचित जाति) जनसंख्या 79 है, ST (अनुसूचित जनजाति) जनसंख्या 2,632 है, तथा सामान्य वर्ग जनसंख्या 436 है। अप्रैल 2020 तक कुल 637 घर हैं, जिनमें सभी 637 घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध हैं। 'जल गुणवत्ता स्थिति' से संबंधित जानकारी यह दर्शाती है कि अप्रैल 2020 तक कोई संक्रमण नहीं पाया गया है। 'बालवाडी / आंगनवाड़ी / स्कूल' के संदर्भ में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है, जिसमें बस्तियों (हैबिटेशन) का नाम, संस्थान की श्रेणी, वर्गीकरण (मानक), नल कनेक्शन के माध्यम से पानी की उपलब्धता (हाँ / नही), शौचालय और मूत्रालय में पानी की उपलब्धता, वर्षा संग्रह संरचनाओं का स्थापना (हाँ / नही), और संग्रहण टैंक की उपलब्धता (हाँ / नही) शामिल है। 'आश्रमशाला' और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के संदर्भ में विस्तृत जानकारी में बस्तियां/बसावटों, स्थान और श्रेणी जैसी जानकारी सम्मिलित है। 'जल स्रोत' जिसमें स्रोत के प्रकार, बस्तियों का नाम, लैंडमार्क, योजना का नाम, स्वीकृति वर्ष, अनुमानित लागत, खर्च, स्थिति (पूरा हुआ या चल रहा है), और क्या यह केंद्रीय योजना के अंतर्गत आता है (हाँ / नही) शामिल है। इसके अलावा, 'घरेलू कनेक्शन की योजना / प्रदान की गई' संबंधित जानकारी बस्तियों/बसावटों के आधार पर उपलब्ध है। उदाहरण के रूप में, खटला के मामले में, 3 बस्तियां/बसावट हैं। अंबादास फलिया में 15 घरेलू कनेक्शन की योजना बनाई गई थी और 15 प्रदान किए गए। उसी तरह, खटला बस्ती/बसावट में, 582 घरेलू कनेक्शन की योजना बनाई गई थी और 582 प्रदान किए गए, जबकि सेंद्रवाड़ी बस्ती/बसावट में, 40 हाउस कनेक्शन की योजना बनाई गई थी और 40 प्रदान किए गए। उपरोक्त जानकारी के अलावा, 'ग्राम स्तरीय कर्मचारियों' के संपर्क विवरण उपलब्ध हैं, जिनमें नाम, पदनाम, कार्यालयीन पदनाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पता, और लिंग शामिल हैं। 'ग्राम जल तथा स्वच्छता समिति सदस्य / पानी समिति / उपयोगकर्ता समूह' के संपर्क विवरण जेजेएम डैशबोर्ड पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, पोर्टल पर प्रत्येक गांव के लिए ओ एण्ड एम स्टाफ के संपर्क विवरण और जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी (WQMS) के लिए चिन्हित की गई महिलाओं का विवरण उपलब्ध है। डैशबोर्ड जो सार्वजनिक डोमेन में है, सीख हेतु एक अच्छा उदाहरण है।

3.3 सर्वोत्तम प्रथा – जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश

रोजगार में महिलाओं का नेतृत्व - सुदृढ़ महिला स्वावलंबन

जिला प्रशासन बुरहानपुर ने ग्रामीण समुदाय की महिलाओं द्वारा समुदाय से जल कर संग्रह के लिए एक पद्धति का नवाचार किया है। महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) समूह के एक सदस्य को प्रशिक्षित किया गया, वह आगे उसी एसएचजी समूह से 3/4 अन्य महिलाओं की पहचान करने के पश्चात इच्छुक महिलाओं का उन्मुखीकरण कर, उनके साथ जल कर संग्रह के उद्देश्य से प्रत्येक घर का दौरा सुनिश्चित कर जल कर संग्रह करती हैं। जल कर संग्रह हेतु स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को नामित करने हेतु, ग्राम सभा के अनुमोदन की प्रकिया द्वारा किया जाता है। महिला स्व-सहायता समूह तथा ग्राम पंचायत के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) दस्तावेज उपलब्ध है। गांव के हर घर से औसत 60/- रुपये का मासिक जल कर देय होता है।

जल कर के भुगतान के लिए प्रत्येक भुगतान करने वाले परिवार को एक संरचित मुद्रित (3 प्रतियों में मुद्रित) रसीद प्रदान की जा रही है। वर्तमान और पिछले वित्तीय वर्ष के जल-कर के संग्रह के उद्देश्य से एसएचजी समूह की महिलाओं के लिए न्यूनतम 10% कमीशन तय किया गया है। इसके अतिरिक्त, यदि वे जल-कर का पुराना बकाया संग्रह कर रहीं हैं, तो उनको 20% तक कमीशन देय हो सकता है, जो भुगतान के लिए देय कर की अवधि पर निर्भर करता है। जल-कर भुगतान जो एकत्र किया जाता है, प्रत्येक माह की 10 तारीख तक ग्राम पंचायत/ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति के बैंक खाते में जमा किया जाता है। बुरहानपुर जिले में महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का एफटीके तकनीकी से जल की गुणवत्ता जाँच हेतु प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है। बुरहानपुर भ्रमण के दौरान आईएसए (गैर सरकारी संगठन) की प्रतिनिधि के साथ समुदाय के बीच जागरूकता एवं सामुदायिक भागीदारी के स्तर को बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में चर्चा की गई। ग्राम खातला 1 के "राधे राधे" महिला स्वयं सहायता समूह की प्रतिनिधि श्रीमती दुर्गा, श्रीमती मुन्नी, श्रीमती प्रियंका से योजना पर चर्चा की गई। महिला समहू की पदाधिकारियों से बातचीत के दौरान यह निष्कर्ष सामने आया कि महिलाएं स्नातक स्तर तक भी शिक्षित हैं और बढ़े उत्साह के साथ हर घर योजना के तहत 'जल कर' संग्रह कर रहीं हैं। उन महिलाओं का शिक्षित होना आज समुदाय के काम आ रहा है। वे महिलाएं पहले बेरोजगार थीं और आस-पास की महिलाओं के साथ बातचीत करने में समय व्यतीत कर देती थीं, और अब वे जल कर संग्रह में गुणवत्ता पूर्ण समय व्यतीत कर रही हैं एवं अपने परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से अपने पतियों के लिए सहायता और अद्वितीय योगदान के रूप में धनोपार्जन कर रही हैं। कुछ महिलाओं ने कहा कि उनके पति आजीविका के लिए श्रम/लेबर के कार्य करते हैं। यह हर घर जल योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर, महिला रोजगार सृजन के साथ-साथ महिला स्वावलंबन का एक स्पष्ट उदाहरण है। इस पहल ने ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता के उत्थान को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। ग्रामीण स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) द्वारा पानी कर का संग्रह मिशन के घटक जैसे नियमित रखरखाव, योजना पर समुदाय का उच्च विश्वास, और जनता की योगदान करने की उत्सुकता बढ़ाने में सहायता करता है। यह पहल न केवल ग्राम पंचायत पर कार्य का भार कम करने में मदद करती है बल्कि योजना के स्थायित्व को भी सुनिश्चित करती है। 'हर घर जल' योजना रोजगार के अवसर पैदा करती है और प्रत्यक्ष स्तर पर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है। उपरोक्त गतिविधि ग्रामीण महिलाओं की स्वावलंबितता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है|

चित्र 5: महिला आत्मनिर्भरता

3.4 सामुदायिक उद्यमिता – सफलता की ओर कदम

समुदाय की सहभागिता और स्वामित्व शासन की योजनाओं की सफलता और स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। यह स्वास्थ्य से जुड़ी आशा कर्मियों के समावेश से वर्णित किया जा सकता है, जहाँ 67,547 [NHSRC, दि.न.] महिलाओं की सक्रिय सहभागिता होती है और समुदाय को एक बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं हेतु प्रेरित करती है। इसके अलावा, महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की स्कूल वर्दी सिलाई में तथा मनरेगा योजनाओं में महत्वपूर्ण सहभागिता है। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भी, 'किसान उत्पादक संगठन' जैसे कृषि-आधारित आय उत्पादन कार्यक्रम एवं ग्रामीण महिला एसएचजी समूहों द्वारा टेक होम राशन (टीएचआर) बनाया जाना जैसी पहलों में भी महत्वपूर्ण सहभागिता है। एसएचजी (राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन) की भागीदारी मध्याह्न भोजन में भी होती है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना, जो बिजली कनेक्शन और बिल भुगतान से संबंधित है, यह भी प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं की उद्यमिता में संबद्धता को प्रकट करती है। ग्रामीण महिलाओं की उद्यमिता के अन्य उदाहरण प्रदर्शन हेतु मौजूद हैं। समुदाय की उच्च भागीदारी को मजबूत करने एवं सुनिश्चित करने के लिए, विभाग पदों का सृजन करते हैं तथा विभाग अपने तंत्र को संस्थागत करते हुए आधारभूत बनाते हैं। जिसका उद्देश्य समुदाय को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से संलिप्त करना है, उनके स्वामित्व और जवाबदेही को अपने समुदाय के गवर्नेंस/प्रबंधन तथा संचालन में मजबूती प्रदान करना है। उदाहरण के रूप में, स्वास्थ्य विभाग में 'उप-निदेशक – सामुदायिक प्रक्रिया' का पद है जो अधिकांश स्वास्थ्य सेवाओं में समुदाय की अधिक सहभागिता, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट कर्मियों के माध्यम से सुनिश्चित करता है। मध्यप्रदेश जल निगम लिमिटेड के संगठन ढांचे में 'महाप्रबंधक - सामुदायिक सहभागिता' पद है। पीएम पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना में 'परियोजना प्रबंधक- जेंडर समानता और समुदाय विकास' की पद स्थापना है। कोविड 19 (स्वास्थ्य) जनभागीदारी मॉडल[16] के संदर्भ में, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील तत्व (पीला चावल), पहुंच की कमी को संधारित करने, संकट प्रबंधन समितियों और प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई (Ghose, 2022)। 'प्रतिभागी दृष्टिकोण' की धारणा शुरुआत से मौजूद है और अब मूलभूत स्तर पर एक संरचित तरीके से सुदृढ़ हो रही है।

3.5 समुदाय की आवाज – ग्रामीण समुदाय से बातचीत के अनुभव

जिला बुरहानपुर के भ्रमण के दौरान, ग्रामीण समुदाय के साथ बातचीत की गई। समुदाय अपने घर के दरवाजे पर घरेलू नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध करने की पहल से प्रसन्न तथा पानी की समस्या दूर होने के कारण तनाव रहित महसूस कर रहा है। समुदाय ने उत्साह के साथ, ग्रामीण लोगों हेतु इस उत्कृष्ट पहल को बढ़ावा देने एवं सुनिश्चित करने के लिए सरकार तथा प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। गांव खतला 1 के निवासी श्री कैलाश ने कहा कि पहले हम पानी के उपभोग एवं संग्रह के लिए दूर क्षेत्र का भ्रमण कर पानी के लिए संघर्ष कर रहे थे, घर पर पानी भर कर लाने एवं इकट्ठा करने की प्रक्रिया में शारीरिक ऊर्जा और गुणवत्ता पूर्ण समय गुजर जाता था। कभी-कभी, उन्हें परिवार की दैनिक पानी की आवश्यकताओं के प्रबंधन के बदले मजदूरी के नुकसान का सामना करना पड़ा था। श्रीमती रेखा, श्रीमती कुसुम, श्रीमती भारती ने बताया कि पहले हम गांव की एक अन्य बस्ती से दैनिक जीवन के लिए पानी के प्रबंधन में प्रतिदिन लगभग दो घंटे व्यतीत कर रहे थे, जबकि अब हम परिवार के सदस्यों के साथ बहुमूल्य समय के रूप में उतना ही समय व्यतीत रहे हैं, जिसमें उनके बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना शामिल है। श्रीमती रेखा ने कहा कि, एक दिन जब मैं जल संग्रह के नए/अज्ञात स्रोत की ओर जा रही थी तो कुछ डर सा महसूस हुआ, क्योंकि मेरे द्वारा नियमित रूप से वहां नहीं जाया जा रहा था अर्थात अनजान क्षेत्र था। एक उम्रदराज महिला ने कहा कि पहले हम खेत में काम पर जाते समय बर्तनों में सीमित पीने का पानी ले जा रहे थे, और अब वह शरीर की आवश्यकता के अनुसार कुंडी (बड़े बर्तन) भर कर पर्याप्त पानी के साथ खेत पर कार्य हेतु जा रहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पानी का स्वाद अच्छा है। फोपनारकलां गांव में, समुदाय यह साझा करते हुए जागरूक और प्रसन्न है कि गांव के प्रत्येक घर हेतु घरेलू नल कनेक्शन उत्तम पहल है। समुदाय द्वारा इसे विकास की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया एवं यह साझा किया कि यह विकास की प्रक्रिया

है। कुछ परिवार बड़े पैमाने पर केले की खेती में शामिल हैं और उन्होंने कहा कि सरकार ने हमें पानी और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों की उपलब्धता के रूप में विकास कर आगे बढ़ने का अवसर दिया है। इस योजना ने ग्रामीण समुदाय की महिलाओं और बालिकाओं को एक बड़े पैमाने पर लाभान्वित किया है। बच्चों से संबंधित उनके घरों, स्कूलों / आंगनवाड़ी केंद्रों अथवा अन्य परिसरों हो, बच्चों को पूरे ग्राम में स्वच्छ और सुरक्षित पेय जल उपलब्ध है| 'हर घर जल' योजना के सफल क्रियान्वयन के कारण, यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि समुदाय की पानी के अतिरिक्त अन्य समस्याएँ सुलझी है, तथा इस हितग्राही मूलक योजना से आम ग्रामीण जनमानस का जीवन आसान हुआ है। यह शासन/सरकार की हितग्राही के सर्वांगीण विकास हेतु अंतर्दृष्टि एवं प्रयासों का परिणाम है।

3.6 सतत विकास लक्ष्य संक्षेपण

हर घर जल योजना का प्रभाव और परिणाम सतत विकास लक्ष्य 6 के साथ प्रमुख रूप से संरेखित है, जिसका उद्देश्य सभी के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता तक पहुंच सुनिश्चित करना है। सामुदायिक लामबंदी और भागीदारी अथवा जल स्त्रोतों का स्थायी प्रबंधन और संरक्षण इत्यादि लंबे समय तक स्थिरता को इंगित करते हैं। स्वास्थ्य और कल्याण के लिए स्वच्छ पानी तक प्रत्येक की पहुंच महत्वपूर्ण है। यह योजना न केवल नल कनेक्शन प्रदान करती है, बल्कि बेहतर स्वच्छता और अच्छी स्वास्थ्य प्रथाओं को भी बढ़ावा देती है| यह घरेलू शौचालयों के निर्माण पर तथा उचित स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। स्वच्छता को संबोधित करके, यह योजना एसडीजी 6 के तहत सभी के लिए पर्याप्त और न्यायसंगत स्वच्छता प्राप्त करने के लक्ष्य में योगदान देती है। हर घर जल योजना नल कनेक्शन प्रदान करने में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं, कमजोर वर्ग एवं उपेक्षित समुदायों को प्राथमिकता देती है।

समानता एवं समावेश एसडीजी 6 की प्रतिबद्धता के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ "कोई भी पीछे न छूटे" (LNOB) की नीति अपनाई जाती है चाहे वे किसी भी सामाजिक या आर्थिक स्थिति में हों, सभी के लिए पानी और स्वच्छता सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित की जाती है। इस योजना का उद्देश्य जल आपूर्ति प्रणालियों की स्थिरता और दक्षता सुनिश्चित करना है। यह जल संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों, वर्षा जल संचयन तथा भूजल पुनर्भरण उपायों का उपयोग करने पर केंद्रित है। सतत जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देकर, यह योजना एसडीजी 6 के जल संसाधनों के सतत उपयोग तथा प्रबंधन के उद्देश्य का समर्थन करती है। हर घर जल योजना के कार्यान्वयन में जल आपूर्ति एजेंसियों, ग्राम-स्तरीय समितियों और अन्य हितधारकों की संस्थागत क्षमता को मजबूत करना शामिल है। यह क्षमता निर्माण जल आपूर्ति प्रणालियों के कुशल संचालन और रखरखाव में मदद , नल कनेक्शन की दीर्घकालिक क्रियाशीलता और जल सेवाओं की स्थिरता सुनिश्चित करती है। यह जल से संबंधित मुद्दों के लिए जल प्रशासन और संस्थागत क्षमता को मजबूत करने के एसडीजी 6 के लक्ष्य के साथ संरेखित है। बुरहानपुर में 'हर घर जल' योजना स्वच्छ पानी तक पहुंच प्रदान करके, स्वच्छता को बढ़ावा देकर, समानता और समावेश सुनिश्चित करके, दीर्घ स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करके और जल प्रबंधन के लिए संस्थागत क्षमता का निर्माण करके एसडीजी लक्ष्य 6 को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

''योजना के दीर्घ-कालीन स्थायित्व में ग्राम जल तथा स्वच्छता समिति की प्रमुख भूमिका है।''

श्री मुकेश चन्द गुप्ता, प्रमुख सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी म.प्र. सरकार

अध्याय 4

4.1 कार्यक्रम के रोल आउट तथा क्रियान्वयन की चुनौतियां

'हर घर जल' भौगोलिक और सामुदायिक स्तर पर लागू एक बड़े पैमाने का कार्यक्रम है। इस प्रकार के बड़े स्तर के कार्यक्रम को शुरू करने और कार्यान्वित करने में अक्सर परिचालन चुनौतियां मौजूद रहती हैं। कोविड-19 महामारी के कारण परियोजना का कार्यान्वयन काफी प्रभावित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक पैमाने पर काम धीमा हो गया था। हालांकि, कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों को रणनीतिक क्रियान्वयन, विभागों के बीच निर्बाध समन्वय और प्रभावी नेतृत्व के माध्यम से दूर किया गया। चुनौतियों में नई पानी की टंकियों के निर्माण के लिए कुशल श्रमिकों की कमी थी, जिसे श्रम ठेकेदारों के सहयोग से छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश से व्यवस्था करके समाधान किया गया था। बुरहानपुर में विनिर्माण कंपनी से पानी की आपूर्ति पाइपों की कमी भी चुनौती के रूप में उत्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त, नानगरी, पचोरी और गढ़ी जैसे दूर के गांव रहे जो जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ गांवों को कई बस्तियों में विभाजित किया गया है, जो उन्हें पाइप लाइनों से आपस में जोड़ने के कार्य को और जटिल बनाया। दूरी के बावजूद, कुछ ऐसे ग्राम के खंड थे जहां लगभग दो किलोमीटर तक समुचित आने-जाने हेतु रास्ता नहीं था, जिससे निर्माण सामग्री और उपकरणों के परिवहन में कठिनाइयां पैदा हुईं थी। वन क्षेत्र और कुछ ग्राम में थ्री-फेज बिजली कनेक्शन का नहीं होना भी विचारणीय थे। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर ने इन मुद्दों को हल करने के लिए रणनीतिक उपायों को लागू किया। विभाग के अधिकारियों, हितधारकों, मतसाधक, गांवों के सक्रिय सदस्यों और अन्य लोगों ने भी चुनौतियों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बुरहानपुर की भौगोलिक परिस्थितियों में एक ही गांव में असमान स्थान शामिल हैं, विशेष रूप से कुछ घर ऊंचाई पर स्थित है अतः उन क्षेत्रों में एफएचटीसी सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रयासों, श्रम और समय लगा कर समाधान किया गया है। मानदंडों के अनुसार, पानी का दबाव ऐसा होना चाहिए कि पानी सात मीटर की ऊंचाई तक चढ़ जाए। ग्रामों में योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करने वाली तदर्थ समिति के कामकाज भी हाल के चुनावों और नए प्रतिनिधियों की नियुक्ति के कारण प्रभावित हुआ, समिति के सदस्यों को वर्तमान में योजना के विभिन्न पहलुओं पर उन्मुख किया जा रहा है।

4.2 कार्यक्रम को सुदृढ़ करने हेतु सिफारिशें

- राज्य में पानी समिति/तदर्थ समिति (चुनाव के बाद समितियों/समिति सदस्यों में बदलाव हुआ है) का पुनः अभिमुखिकरण/पुनः प्रशिक्षण, उच्च स्तर पर उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है। यह अन्य कार्यों के अलावा टूटने या छोटे रिसाव के मामले में प्रभावी संचालन, रखरखाव और आवश्यकता पड़ने पर मामूली मरम्मत सुनिश्चित करने में सहयोगी होगा। उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण को वीडब्ल्यूएससी / पानी समिति / उपयोगकर्ता समूहों आदि के सदस्यों के बीच अविश्वसनीय स्वामित्व सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि सदस्यों के पास योजना की स्थिरता सुनिश्चित करने का एक ठोस उद्देश्य संभव हो सके। तथा, वें पूरी लगन से योजना को दीर्घकाल तक क्रियाशील रखना सुनिश्चित रखें।

''जल कर संग्रह का नियमित मूल्यांकन, योजना की स्थिरता को बढ़ावा देने और आवश्यक उपायों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है।''

श्री प्रवीण सिंह अढ़ायच आईएएस,
पूर्व जिलाधिकारी बुरहानपुर म.प्र.

- राजमिस्त्री, मोटर मैकेनिक, प्लंबर और सौर ऊर्जा तकनीशियन के क्षमता निर्माण को जिले /राज्य की आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता देने और निर्धारित समय सीमा में संतृप्त करना।
- उन्नत स्तर का सामुदायिक स्वामित्व/ सहभागिता योजना की दीर्घाकालीन स्थिरता हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसमें नागरिक समाज/ गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का समावेशन प्रारम्भिक वर्षों में किया जा सकता है।
- संग्रहित जल कर की राशि से संबंधित एक पोर्टल होना चाहिए, एवं ब्लॉक/जिले/ राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा की जानी चाहिए।

सारांश

मध्य प्रदेश राज्य दिनांक 14 जुलाई 2023 तक 60,91,717 (50.91%)[10] क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) से संतृप्त है। जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से 44.65% घरों को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है एवं यह ऐसे समय में सुनिश्चित की गई है जिस दौरान कोविड-19 की वैश्विक महामारी मौजूद रही। लगातार लॉकडाउन की वजह से अन्य व्यवधान भी रहे, जिन्होंने जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन तथा संचालन के कार्य को बड़े स्तर पर प्रभावित किया। कठिन समय में केंद्र, राज्य और जिले ने घनिष्ठ एवं मजबूत साझेदारी में काम किया और समुदाय को क्रियाशील नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण लोगों के जीवन जीने के तरीकों एवं गुणवत्ता में उनकी अपेक्षा अनुरूप सुधार हुआ है। हालांकि, बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन कार्यक्रम के मामले में, सुधार के अवसर अक्सर बनते है। यह उल्लेखनीय है कि स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पीएचई कार्यान्वयन विभाग द्वारा भवनों की छत पर रखी पानी की टंकी एवं उसको पानी से भरने हेतु पानी के पंप लगाए गए है। विभाग ने स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वच्छता और आवश्यकता के अनुसार नल कनेक्शन के आस-पास टाइल्स की फिटिंग सुनिश्चित की है। यह भी देखा गया कि कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों पर आवश्यकता के अनुरूप एक से अधिक क्रियाशील नलों की स्थापना की गई है।

बुरहानपुर जिले ने कार्यान्वयन अवधि के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की और मिशन के तहत 'हर घर जल' सुनिश्चित करने में देश भर में उल्लेखनीय *'प्रथम प्रामाणिक'* जिले का स्थान हासिल किया है। मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू दूरदराज के गांवों में रहने वाले ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार के नए अवसरों का निर्माण करना रहा, जो जमीनी स्तर पर प्रदर्शित होता हुआ, अनुभव किया गया है। जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए कुशल पेशेवरों की आवश्यकता होती है, और वे कार्यक्रम के तहत स्थापित प्रणाली की निगरानी, संचालन और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जल आपूर्ति प्रणाली के प्रभावी संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के लिए सामुदायिक स्वामित्व का उच्च स्तर अपेक्षित है, जिसमें जल करों का समय पर भुगतान भी शामिल है। इससे मिशन के घटक जैसे नियमित रखरखाव, समुदाय को निर्बाध तथा निरंतर जल आपूर्ति में मदद मिलेगी। हमारे पास सफलता की कहानियाँ हैं, जैसे कि एसएचजी समूहों की ग्रामीण महिलाओं द्वारा जल कर संग्रह, उनको प्राप्त कमीशन उनके परिवार की आय को पूरक करने में भी सहयोग देता है। उसी जिले बुरहानपुर में विजय, खतला 1 गांव में पंप ऑपरेटर है जिनके पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। विजय विवाहित है, संयुक्त परिवार में रह रहा है और अपने पिता को अपना पूरा मासिक मानदेय सौंप रहा है; जिसमें से वह अपने पिता से अपने छोटे से परिवार के लिए 1000/- रुपये प्राप्त करता है ताकि अपने खुद के परिवार की बुनियादी जरूरतों के अलावा अन्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस मील के पत्थर को छूना सिर्फ एक उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक उद्देश्य भी है जिसने जिले को एक मंच पर लाया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायती राज विभाग और जिला प्रशासन ने समन्वय के साथ काम करते हुए सामुदायिक स्वामित्व और क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन सहित योजना के उद्देश्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ग्राम जल तथा स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) में स्वामित्व, योजना के स्थायित्व हेतु महत्वपूर्ण है। छिंदवाड़ा के मोहखेड ब्लॉक में 32 गांव हैं जहां घरों से 100% जल कर देय किया जा रहा है[9], उसमें ग्राम जल तथा स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) की अहम भूमिका है। ग्राम जल तथा स्वच्छता समिति के प्रशिक्षण की गुणवत्ता उनकी भूमिका, ज़िम्मेदारियों और कार्यान्वयन की बेहतर समझ को प्रभावित करती है। योजना के स्थायित्व के लिए रोज़मर्रा की वांछित मात्रा में निर्बाध जल आपूर्ति तथा उचित जल दबाव के साथ महत्वपूर्ण हैं। हर घर जल योजना में बुरहानपुर जिले को राष्ट्र स्तर पर 'प्रथम प्रमाणित जिले' के स्थान पर सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण बिंदु, साक्ष्य-आधारित क्रियान्वयन में मौलिक भूमिका निभा सकते हैं। हर घर जल योजना ने लाखों लोगों की विभिन्न समस्याओं को सफलतापूर्वक हल किया है। ग्रामीण निवासियों हेतु स्वास्थ्य से जुड़ी अर्थव्यवस्था में सुधार को सम्मिलित करते हुए, हम इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से प्रभाव एवं परिणामों के एक व्यापक रूप की आशा करते हैं।

संदर्भ:

1. A Mission for Fulfilling Aspirations, Transforming Villages – DDWS, MoJS, 31 Dec. 2021, अंग्रेजी पुस्तिका प्रकाशन जेजेएम पोर्टल पर उपलब्ध.
2. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1786334 DWS schemes of Rs. 15381.72 Cr approved for MP under Jal Jeevan Mission (published date 30 Dec. 2021 5:15 PM by PIB Delhi),
3. 'Women's Role in Jal Jeevan Mission' लेख द्वारा श्रीमती विनी महाजन, जल शक्ति मंत्रालय नई दिल्ली, कुरुक्षेत्र अप्रैल 2022.
4. जिला जनगणना पुस्तिका बुरहानपुर, श्रृंखला 24, भाग XII-B.
5. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1844035 Press Information Bureau (pib.gov.in) Burhanpur of Madhya Pradesh becomes the First certified 'Har Ghar Jal' district in the country. (1844035 पीआईबी दिल्ली द्वारा प्रकाशित दिनांक 22 जुलाई 2022 को 8:17 बजे).
6. चर्चा श्री प्रवीण सिंह अढायच आईएएस जिलाधिकारी 30 जून 2023.
7. 'A Journey to 10 Crore functional tap connection- Jal Jeevan Mission Nal Sankhya 4', पेज नंबर 7 जेजेएम, द्वारा प्रकाशित.
8. https://currentaffairs.adda247.com/mps-burhanpur-becomes-the-first-district-to-certify-har-ghar-jal/ MP's Burhanpur becomes the first district to certify 'Har Ghar Jal' (adda247.com) Adda 24|7, सुमित अरोडा द्वारा, प्रकाशन दिनांक 26 जुलाई 2022.
9. 5 जुलाई 2023 को मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित के महाप्रबंधक, सामुदायिक भागीदारी श्री विजय जादौन के साथ चर्चा.
10. जेजेएम डैशबोर्ड (ejalshakti.gov.in)
11. https://dceg.cancer.gov/research/what-we-study/drinking-water-contaminants/Water contaminants and cancer risk: arsenic, disinfection by products, and nitrate - NCI
12. जेजेएम रिपोर्ट (ejalshakti.gov.in) https://ejalshakti.gov.in/JJM/JJMReports/SubMain.aspx?Rep=s8FPuPEs%2fNQ%3d&t=C/C33
13. https://www.dailypioneer.com/2023/state-editions/cm-reviews-public-health-engineering-dept-works.html/ CM reviews Public Health Engineering dept works (dailypioneer.com), शनिवार 14 जनवरी 2023, स्टाफ रिपोर्टर भोपाल.
14. https://www.dailypioneer.com/2022/state-editions/madhya-pradesh-first-in-jal-jeevan-mission-scheme.html/ Madhya Pradesh first in Jal Jeevan Mission scheme (dailypioneer.com), 11 जनवरी 2022, स्टाफ रिपोर्टर भोपाल.

15. MP PHE Department.

16. Jan -Bhagidari Model of Madhya Pradesh State's Covid Vaccination - Loving Vaccines.

17. बुरहानपुर, मध्य प्रदेश में अगस्त 2022 में किए गए क्षेत्र के दौरे के अनुभव तथा निष्कर्ष.

18. वल्लभ भवन भोपाल, मध्य प्रदेश में 30 सितंबर 2022 को आयोजित वाटर कॉन्क्लेव.

19. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1786334 (30 Dec. 2021).

20. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1712424 budget related.

संलग्नक क

Har Ghar Jal
Jal Jeevan Mission

Drinking water quality testing using Field Test Kit

Drinking water sample test report

Source description

Source of sample: Individual house tap water **Address:**

Latitude: **Longitude:**

Remarks:

Water sample test results

Date & Time of Sample Collection- 2022-07-15 13:25:31 **Report Generation Date-** 2022-08-24 15:25:35

Sr.	Parameters tested	Unit of measurement	Requirement (Acceptable Limit)	Permissible limit in absence of alternate source	Whether the sample is within Safe range (Yes/ No)
1	Turbidity	NTU	1	5	yes
2	pH	NA	6.5-8.5	No Relaxation	yes
3	Total Alkalinity (as Calcium Carbonate)	Milligram/liter	200	600	not_tested
4	Chloride (as Cl)	Milligram/liter	250	1000	yes
5	Fluoride (as F)	Milligram/liter	1	1.5	yes
6	Ammonia (as Total Ammonia- N)	Milligram/liter	0.5	No Relaxation	not_tested
7	Nitrate (as NO3)	Milligram/liter	45	No Relaxation	yes
8	Total Hardness (As CaCO3)	Milligram/liter	200	600	yes
9	Iron (As Fe)	Milligram/liter	1	No Relaxation	yes
10	Free residual Chlorine	Milligram/liter	0.2	1	yes
11	Biological contaminations	NA	Presence or Absence	Presence or Absence	yes

Test done by

Name: Rekha Mhajan	**Mobile Number:** 9589946496
Village: PHOPNARKALA	**GP:** PHOPNARKALA
Block: BURHANPUR	**District:** BURHANPUR
State: MADHYA PRADESH	

Note:

1. If the results are found to be contaminated, the FTK user is advised to contact the concerned VWSC/ Paani samiti/ Rural water supply department immediately for possible remedial action.

2. This is an auto generated report and no signature is required

नोट :

सपना जो सच हो गया ...

: प्रकाशक :

मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग

35 राजीव गांधी परिसर, श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश

फोन नंबर – 0755-2551456 | ईमेल – spb@mp.nic.in | वेबसाइट – http://mpplanningcommission.gov.in